रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 1973/ज्यैष्ठ 12, 1895
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1973/JYAISTHA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1973

सा. का. नि. 557.—भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1973 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 में (1) विनियम 3 के उप विनियम (1) में "प्रत्येक राज्य के अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए" शब्दों के स्थान पर "राज्य संवर्ग अथवा संयुक्त संवर्ग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(2) अनुसूची में, कालम 2 के शीर्षक में प्रयुक्त "राज्य" शब्द के स्थान पर "राज्य संवर्ग/संयुक्त संवर्ग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 11/1/72-अ. भा. से. (1)-ख]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 22nd May, 1973

G.S.R. 557.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Governments concerned and the Union Public Service to Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Promotion) First Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955;

(1) in regulation 3, in sub-regulation (1), for words "each of the States or for the group of Union Territories", the words "a State Cadre or a Joint Cadre" shall be substituted;

(2) in the Schedule, for the word "State" occurring in the heading of column 2, the words "the State Cadre/Joint Cadre" shall be substituted.

[No. 11/1/72-AIS(I)-B]

सा. का. नि. 558.—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1973 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में (1) विनियम 3 उप-विनियम (1) में "प्रत्येक राज्य के अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिये" शब्दों के स्थान पर "राज्य संवर्ग अथवा संयुक्त संवर्ग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(2) अनुसूची में,—

(क) कालम 2 के शीर्षक में प्रयुक्त "राज्य" शब्द के स्थान पर "राज्य संवर्ग/संयुक्त संवर्ग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) असम राज्य से संबंधित क्रम संख्या 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"2. असम-मेघालय

(1) मुख्य सचिव, असम सरकार

(2) अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, असम

(3) मुख्य सचिव, मेघालय सरकार

(4) आयुक्त, मेघालय

(5) भारत सरकार का एक मनोनीत व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव से नीचे के रैंक का न हो ।

(ग) महाराष्ट्र राज्य से संबंधित क्रम संख्या 10 की प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायगी, अर्थात्, :—

"10. क मणिपुर-त्रिपुरा

(1) मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार

(2) मुख्य सचिव के अलावा मणिपुर सरकार के वरिष्ठतम सचिव ।

(3) मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार

(4) मुख्य सचिव के अलावा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठतम सचिव

(5) भारत सरकार का एक मनोनीत अधिकारी जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का न हो ।

[सं. 11/1/72-अ. भा. से. (1)-क]

वी. रंगानाथन, अवर सचिव

G.S.R. 558.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Governments concerned and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) First Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955,

(1) in regulation 3, in sub-regulation (1), for the words "each of the States or for the group of Union Territories", the words "a State Cadre or a Joint Cadre" shall be substituted;

(2) in the Schedule, —

(a) for the word "State" occurring in the heading of column 2, the words "the State Cadre/Joint Cadre" shall be substituted;

(b) for the entry at Serial No. 2 relating to the State of Assam, the following entry shall be substituted, namely :—

"2. **Assam-Meghalaya**

(1) Chief Secretary to the Government of Assam.

(2) Chairman, Board of Revenue, Assam.

(3) Chief Secretary to the Government of Meghalaya.

(4) Commissoner, Meghalaya.

(5) A nominee of the Government of India not below the rank of a Joint Secretary".

(c) after the entry at Serial No. 10 relating to the State of Maharashtra, the following entry shall be inserted, namely :—

"10A. **Manipur-Tripura**

(1) Chief Secretary, to the Government of Manipur.

(2) Senior-most Secretary, other than the Chief Secretary, to the Government of Tripura.

(3) Chief Secretary to the Government of Tripura.

(4) Senior-most Secretary, other than the Chief Secretary, to the Government of Tripura.

(5) A nominee of the Government of India not below the rank of Joint Secretary".

[No. 11/1/72-AIS(I)-A]

V. RANGANATHAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 1973

सा. का. नि. 559.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, लेखा अधिकारी (बाह्य वित्त प्रभाग, वित्त मंत्रालय) भर्ती नियम, 1963 में संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. (1) ये नियम लेखा अधिकारी (बाह्य वित्त प्रभाग, वित्त मंत्रालय) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 कहे जाएंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. लेखा अधिकारी (बाह्य वित्त प्रभाग, वित्त मंत्रालय) भर्ती नियम, 1963 (आगे उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय, अर्थात्:—

"5 छूट देने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के उपबन्धों में छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है तो कारणों का लिखित रूप से उल्लेख करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश जारी करके ऐसा कर सकती है" ।

3. उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची लगाई जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लेखा अधिकारी		सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II (राजपत्रित असचिवालयी)	रु० 590–30–830–35–900	प्रवरण पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भरती की पद्धति : सीधी भरती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/अंतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भरती की दशा में वे संवर्ग जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	50% पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर अंतरण द्वारा और 50% अंतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियतांश कोटा) समय-समय पर खाली होने वाले पदों पर लागू नहीं होगा किन्तु ग्रेड के पदों की कुल संख्या पर लागू होगा)	**पदोन्नति** : लेखाकार, जिन्होंने नियमित रूप से नियुक्त होने की तारीख से उस पद पर 5 वर्ष सेवा की हो । **प्रतिनियुक्ति पर अंतरण** : लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी, यह न मिलने पर किसी संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय रक्षा लेखा परीक्षा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा परीक्षा और डाक-तार लेखा विभाग के अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं ।) **अंतरण** उपर्युक्त किसी संगठित लेखा विभागों में समान पदों पर काम करने वाले अधिकारी ।	श्रेणी II विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत आवश्यक है ।

[सं एफ० 18 (5)-प्र I/60]

के० राधाकृष्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 2nd May, 1973

G.S.R. 559.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Accounts Officer (External Finance Division, Ministry of Finance) Recruitment Rules, 1963, namely :—

(1) These rules may be called the Accounts Officer (External Finance Division, Ministry of Finance) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Accounts Officer (External Finance Division, Ministry of Finance) Recruitment Rules, 1963 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"5. **Power to relax :**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons."

3. For the Schedule annexed to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Accounts Officer	7	General Central Service Class II (Gazetted-non-Ministerial)	Rs. 590-30-830-35-900	Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	50% by promotion, failing which by transfer on deputation and 50% by transfer/deputation (Quotas will be applicable to the total No. of posts in the grade and not to the vacancies which may arise from time to time).	**Promotion :** Accountants with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on Deputation :** Accounts/Audit Officers, failing which SAS Accountants with 5 years service in the grade from any of the organised Accounts Department viz., Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department and Posts and Telegraphs Accounts Department. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). **Transfer :** Officers holding analogous posts in any of the organised Accounts Departments mentioned above.	Class II Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 18(5)-Admn. I/60]

K. Radha Krishnan, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 1973

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 560.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छटवां संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 173-छ के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"173-छछ. शुल्क संदत्त माल का कारखाना-परिसर के समीप भंडारकरण—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर किसी भी ऐसे निर्धारिती को, जो किसी भी समय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दण्डित किया जा चुका हो, नियम 173-छ में अधिकथित रीति से शुल्क का संदाय करने के पश्चात् हटाए गए उत्पाद-शुल्क योग्य माल को ऐसे निर्धारिती के कारखाने या उसके भाण्डागार से दो किलोमीटर की दूरी के अन्दर स्थित किसी गोदाम या भण्डारकरण के स्थान या परिसरों में रखने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।"

[सं. 126/73—कें.उ.शा.-फा. सं. 4/1/70-सी. एक्स. 6]

एस. के. धर, अवर सचिव

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 2nd June, 1973

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 560.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Sixth Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, after rule 173-G the following new rule shall be inserted, namely :—

"173-GG Storage of duty paid goods near the factory premises—Collector of Central Excise may prohibit an assessee, who has at any time been punished for any offence under Central Excise and Salt Act, 1944 or the rules made thereunder, from storing excisable goods removed after payment of duty in the manner laid down in rule 173-G, in any godown or place or premises of storage situated within a distance of two kilometers from the factory or warehouse thereof, of such assessee."

[No. 126/73-C.E.-F. No. 4/1/70-CX. 6.]

S. K. DHAR, Under Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 मई, 1973

सा. का. नि. 561.—भारत सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सा. का. नि. (जी. एस. आर.) 59 दिनांक 21 दिसंबर 1971 में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि मद्रास परमाणु शक्ति प्रायोजना रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र (मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट/रिएक्टर रिसर्च सेन्टर) सुरक्षित स्थान होने के कारण भारत सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 8 के साथ पठित नियम 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मद्रास परमाणु शक्ति प्रायोजना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र और सामान्य प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास परमाणु शक्ति प्रायोजना द्वारा भी किया जा सकेगा, तथा आगे निदेश देती है कि उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में क्रम संख्या 4 के सामने कालम 2 में विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास परमाणु शक्ति प्रायोजना ।

(2) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र ।

(3) सामान्य प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास परमाणु शक्ति प्रायोजना ।"

[सं. 28/17/71-पोल-2]

आर. वासुदेवन, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 11th May, 1973

G.S.R. 561.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 34 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971), and in partial modification of the Order of the Government of India, Ministry of Home Affairs, No. G.S.R. 59, dated the 21st December, 1971, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by rule 7 read with rule 8 of the Defence of India Rules, 1971 shall in respect of the Madras Atomic Power Project/Reactor Research Centre, being a protected place, be exercisable also by the Chief Administrative Officer, Madras Atomic Power Project, Chief Administrative Officer, Reactor Research Centre, and General Administrative Officer, Madras Atomic Power Project and further directs that in the Schedule to the said Order, against S. No. 4, for the existing entry in column 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"1. Chief Administrative Officer, Madras Atomic Power Project.

2. Chief Administrative Officer, Reactor Research Centre.

3. General Administrative Officer, Madras Atomic Power Project."

[No. F. 28/17/71-Poll. II]

R. VASUDEVAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 22 मई, 1973

सा. का. नि. 562.—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66 की धारा) 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (छटवां संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में, नियम 27(क) के अधीन सारणी में, स्तम्भ 3 में, क्रम सं. 7 के सामने "उप महानिरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "कमांडेंट" शब्द रखा जाएगा ।

[सं. पी. 111-1/72-प्रशासन/जी.पी.ए.-1]

प्रेम प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd May, 1973

G.S.R. 562.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Reserve Police Force Rules, 1955 namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force (6th Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Rules, 1955, in the Table under rule 27(a), in column 3, against serial number 7, for the words "Deputy Inspector-General", the word "Commandant" shall be substituted.

[No. P. VIII-1/72/Adm./GPA.I]

PREM PARKASH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1973

सा. का. नि. 563.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1344, तारीख 5 सितम्बर, 1970 को, जहां तक वह इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले राज्यक्षेत्रीय यूनिटों से संबंधित है, अधिक्रांत करते हुए, यह निदेश देते हैं कि भारत में आने वाले विदेशियों की बाबत भारत में भरणपोषण और भारत में संप्रत्यावर्तन के संबंध में राष्ट्रपति के पक्ष में निष्पादित किया जाने वाला प्रत्येक परित्राण—बंधपत्र उसकी ओर से इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्यक्षेत्रीय यूनिट की बाबत उसके स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जायेगा ।

अनुसूची

राज्यक्षेत्रीय यूनिट	अधिकारी का पदाभिधान
1	2
मेघालय राज्य	1 – मुख्य सचिव, मेघालय सरकार । 2 – सचिव, गृह (पारपत्र) विभाग, मेघालय सरकार । 3 – उप सचिव, गृह (पारपत्र) विभाग, मेघालय सरकार । 4 – अवर सचिव, गृह (पारपत्र) विभाग, मेघालय सरकार । 5 – उपायुक्त, खासी पहाड़ियां । 6 – उपायुक्त, जयन्तिया पहाड़ियां, जोवाई । 7 – उपायुक्त, गारो पहाड़ियां, तुरा ।
त्रिपुरा राज्य	सचिव, राजनीतिक विभाग, त्रिपुरा सरकार ।
मणिपुर राज्य	मुख्य सचिव, गृह विभाग, मणिपुर सरकार ।
अरुणाचल प्रदेश	1 – मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार ।
संघ राज्य क्षेत्र	2 – उप सचिव राजनीतिक अरुणाचल प्रदेश सरकार ।
मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र	मुख्य सचिव, मिजोरम सरकार ।

[सं. 11013/1/72-एफ-1]

वी. आर. पटेल, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 24th May, 1973

G.S.R. 563. In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the Constitution and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. G.S.R. 1344, dated the 5th September, 1970, in so far as it relates to the territorial units covered by this notification, the President hereby directs that every Indemnity Bond relating to maintenance in, and repatriation from, India in respect of foreigners coming to India, to be executed in favour of the President shall be accepted on his behalf by the officer or officers specified in column 2 of the Schedule hereto annexed in respect of each of the territorial units specified in column 1 thereof.

SCHEDULE

Territorial Unit	Designation of officer
1	2
State of Meghalaya	1. Chief Secretary to the Government of Meghalaya. 2. Secretary to the Government of Meghalaya, Home (Passport) Department. 3. Deputy Secretary to the Government of Meghalaya, Home (Passport) Department. 4. Under Secretary to the Government of Meghalaya, Home (Passport) Department. 5. Deputy Commissioner, Khasi Hills. 6. Deputy Commissioner, Jaintia Hills, Jowai. 7. Deputy Commissioner, Garo Hills, Tura
State of Tripura	Secretary to the Government of Tripura, Polit l Department.
State of Manipur	Chief Secretary to the Government of Manipur, Home Department.
Union Territory of Arunachal Pradesh	1. Chief Secretary to the Government of Arunachal Pradesh. 2. Deputy Secretary (Political) Government of Arunachal Pradesh.
Union Territory of Mizoram	Chief Secretary to the Government of Mizoram.

[No. 11013/1/72-F. I]

B. R. PATEL, Joint Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1973

इलायची नियंत्रण

सा. का. नि. 564.—इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इलायची नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम इलायची (संशोधन) नियम, 1973 है।

2. इलायची नियम, 1966 के नियम 15 के उपनियम (2) में, "और तदुपरि यह उसके लिए विधिपूर्ण होगा" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "कारबार का निपटान करे" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"और यदि ऐसे स्थगित अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति से कम है तो ऐसे उपस्थित सदस्य गणपूर्ति होंगे"।

[सं. 32/9/72-संयंत्र (बी)]

एस. महादेव अय्यर, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Foreign Trade)

New Delhi, the 16th May, 1973

CARDAMOM CONTROL

G.S.R. 564.—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cardamom Rules, 1966, namely :—

1. These rules may be called the Cardamom (Amendment) Rules, 1973.

2. In sub-rule (2) of rule 15 of the Cardamom Rules, 1966, for the portion beginning with the words "and it shall thereupon", and ending with the words "for the time being present", the following shall be substituted, namely :—

"and if the number of members present at such adjourned meeting is less than the required quorum, the members so present shall be the quorum".

[No. 32/9/72-Plant(B)]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मई, 1973

चाय नियंत्रण

सा. का. नि. 565.—प्लांट (ए)-चाय बोर्ड उपाविधि, 1955 में और संशोधन करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई निम्नलिखित उपविधियां, जो उस धारा की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा पृष्ट की गई हैं, प्रकाशित की जाती हैं, अर्थात् :—

1. इन उपविधियों का नाम बोर्ड (संशोधन) उपविधि 1973 है।

2. चाय बोर्ड उपविधि, 1955 में उपविधि 38 के पश्चात् निम्नलिखित उपविधि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"38-क—बोर्ड, प्रादेशिक या क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनमें उनके अपने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले अधीनस्थ कार्यालय सम्मिलित हैं, के अधिकारियों और संलग्न कर्मचारीवृन्द की बाबत सम्बलमों, भत्तों और

विभिन्न अन्य वैयक्तिक दावों के संदाय को सुकर बनाने के लिए उपविधि 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बैंकों और स्थानों में से उन बैंकों और स्थानों में जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं चाय बोर्ड प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालयों (सम्बलमों, भत्तों और अन्य वैयक्तिक दावों का संवितरण) के खातें" नामक पृथक् चालू खाते रख सकता है। प्रादेशिक या क्षेत्रिय कार्यालयों के क्रमिक भार-साधक अधिकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा, जहां तक प्रादेशिक या क्षेत्रिय कार्यालयों के अधिकारी और संलग्न कर्मचारीवृन्द के सम्बलमों, भत्तों और विभिन्न अन्य वैयक्तिक दावों के संदाय का सम्बन्ध है, केवल उनके आदान और संवितरण अधिकारियों के रूप में कार्य करने के प्रयोजन के लिए ऐसे बैंक खातें चलाने के लिए प्राधिकृत किये जा सकते हैं। ऐसे बैंक खातों में के धन का उपयोग केवल ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

[सं. के. 11012(1)/72 प्लांट (ए)]

एल. एन. सकलानी, निदेशक

New Delhi, the 21st May, 1973

TEA CONTROL

G.S.R. 565.—The following bye-laws further to amend the Tea Bye-laws, 1955, made by the Tea Board in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 50 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), is hereby published for general information, the same having been confirmed by the Central Government as required by sub-section (2) of that section, namely :—

1. These bye-laws may be called the Tea Board (Amendment) Bye-laws, 1973.

2. In the Tea Board Bye-laws, 1955, after bye-law 38, following bye-law shall be inserted, namely :—

"38-A. The Board may, to facilitate the payments of the salaries allowances and various other personal claims in respect of officers and staff attached to the Regional or Zonal Offices including the sub-ordinate offices under their respective administrative control, maintain separate accounts called "Tea Board Regional/Zonal Offices (Disbursement of salaries, allowances and other personal claims) Accounts" in such places and with such banks from amongst those approved by the Central Government under bye-law 37 as may from time to time be determined by the Board. The respective officers in charge of the Regional or Zonal Offices, may be authorised by the Chairman or Deputy Chairman to operate such bank accounts only for the purpose of acting as drawing and disbursing officers in so far as the payments of the salaries, allowances and various other personal claims in respect of the officers and staff attached to the Regional or Zonal offices are concerned. The moneys in such bank acounts shall only be utilised for the purposes specified above."

[No. K. 11012(1)/72-Plant(A)]

L. N. SAKLANI, Director.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

सा. का. नि. 566.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के पशु चिकित्सा अधिकारी के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:**—(1) ये नियम केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (पशु चिकित्सा अधिकारी) भर्ती नियमावली, 1973 कहे जायं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **उपयोजन:**—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:**—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में निर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:**—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

5. **अनर्हता:**—कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके नियमों के किसी उपबंध को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, स्वास्थ्य मंत्रालय, में पशु-चिकित्सक के पद की भर्ती नियमावली ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पशु-चिकित्सा अधिकारी	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, प्रथम श्रेणी राजपत्रित अननु-सचिवीय	400–400–450–30–600–35–670–द०रो० 35–950 रु०	सेलैक्शन	35 वर्ष	**अनिवार्य :** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से पशु-चिकित्सा विज्ञान की डिग्री अथवा तुल्यमान अर्हता । (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आनुवंशकीय (जेनेटिक्स) में स्नातोकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा । (3) प्रयोगशाला पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से प्रजनन, देख-रेख तथा रखाव करने के मामले में किसी जिम्मेदार पद पर काम करने का लगभग तीन वर्षों का व्यावहारिक अनुभव । (सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हतायें शिथिलनीय) **वांछनीय :** विश रोधी सीरी के उत्पादन के लिए घोड़ों के देखरेख कार्य का अनुभव ।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्था-नान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनि-युक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
जी नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति:** केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली के पशु-चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक जिसने इस ग्रेड में पांच साल की सेवा कर ली हो ।	प्रथम श्रेणी विभा-गीय पदोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन यथापेक्षित

[प. संख्या एफ. 19-15/71 एम. ए.]

सती बालकृष्णा, अवर सचिव.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Health Department)

New Delhi, the 31st March, 1973

G.S.R. 566.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Veterinary Officer at the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Planning, namely :—

1. **Short title and commencement:**—(i) These rules may be called the Central Research Institute, Kasauli, (Veterinary Officer) Recruitment Rules, 1973, (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :**—These rules shall apply for recruitment to the post as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay :**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications :**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, or other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualifications :** No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax :**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Veterinary Officer in the Central Research Institute Kasauli, Min. of Health

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection Post or non-selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Veterinary Officer	1	General Central Service Class I, Gazetted non-Ministerial	Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.	Selection	35 years	**Essential :** (i) A degree in Veterinary Science from a recognised University or equivalent qualification. (ii) A post-graduate degree or Diploma in Genetics from a recognised University/ Institution. (iii) About 3 years practical exercise in a responsible capacity in scientific breeding, maintenance and care of laboratory animals. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified. **Desirable :** Experience in maintenance of horses for the production of anti-toxic sera.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer—grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No	Two years	Promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion** Veterinary Assistant Surgeon of the Central Research Institute, Kasauli, with 5 years service in the grade.	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the UPSC (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 19-15/71-MA]

SATHI BALAKRISHNA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1973

सा०का०नि० 567 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में उपआयुक्त (पत्तन, परिचालन और परियोजनायें) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम कृषि विभाग उपआयुक्त (पत्तन, परिचालन और परियोजनायें) भर्ती नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4 **निरर्हतायें**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू, स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5 **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6 इन नियमों की कोई बात केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

कृषि विभाग में उप-आयुक्त (पत्तन, परिचालन और परियोजना) पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु
1	2	3	4	5	6
उप आयुक्त (पत्तन, परिचालन और परियोजनायें)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-1, राजपत्रित	1100-50-1400 रु०	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघलोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत लघु अवधि संविदा भी है।)	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण (जिसके अन्तर्गत लघु अवधि संविदा भी है):— केन्द्रीय या राज्य सरकारों के समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा वे अधिकारी जो 700—1250 रु० अथवा समतुल्य वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष सेवा कर चुके हों अथवा वे अधिकारी जो सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में समतुल्य हैसियत वाला पद धारण करते हों और जिन्हें पत्तन 'परिचालन, खाद्यानों की लादों की सम्भाल तथा उपस्कर और मशीनरी खरीदने का लगभग 2 वर्ष का अनुभव हो।' (प्रतिनियुक्ति की अवधि अथवा लघु अवधि संविदा साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा-अपेक्षित।

[सं० ए-12018/2/71 स्थापना-1]
एस० एन० सिन्हा, अवर सचिव,

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 28th April, 1973

G. S. R. 567.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Commissioner (Port, Operations and Projects) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), namely:—

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Agriculture [Deputy Commissioner (Port, Operations and Projects)] Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, its classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Commissioner (Port, Operations and Projects)	One	General Central Service Class I Gazetted.	Rs. 1100-50-1400	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation (including short-term contract).	Transfer on deputation (including short-term contract):- Officers from Central or State Governments holding analogous posts or officers with at least 3 years' service in the scale of Rs. 700-1250 or equivalent or office holding equivalent status in Public Sector Undertakings and having about two years' experience of Port Operations, handling of fertilisers of foodgrains and purchase of equipment and machinery. (Period of deputation or short-term contract—ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958

[No. A. 12018/2/71-Estt. I]
S. N. SINHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मई, 1973

सा. का. नि. 568.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली चिड़ियाघर (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम दिल्ली चिड़ियाघर (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली चिड़ियाघर (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1960 की अनुसूची में, चिड़ियाघर सर्वेक्षक के पद से सम्बन्धित मद सं. 10 के सामने, स्तम्भ 5 में की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"परन्तु 18 अगस्त, 1974 तक की अवधि के लिए अधिकतम आयु-सीमा पांच वर्ष तक, अर्थात 30 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी ।"

[सं. जे. 120/1/72-एफ. डी. (डब्ल्यू. एल. एफ.]

New Delhi, the 11th May, 1973

G.S.R. 568.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Delhi Zoological Park, (Class III and Class IV posts), Recruitment Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Zoological Park (Class III and Class IV Posts) Recruitment Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Delhi Zoological Park (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960, against item No. 10 relating to the post of Zoo Park Surveyor after the entry in colum 5, the following entry shall be inserted namely :—

"Provided that for the period up to 18th August, 1974, the upper age limit shall be relaxable by 5 years, that is up to 30 years".

[No. J-12015/1/72-FD(WLF)]

नई दिल्ली, 23 मई, 1973

सा. का. नि. 569.—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री रणजीत सिंह, उप-सचिव, भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) को वन्य प्राणी परिरक्षण के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं एफ 11014/4/73-एफ आर वाई (डब्ल्यू एल एफ)]

रूप राम, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 1973

G.S.R. 569—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints Shri Ranjitsingh, Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) as Director of Wild Life Preservation.

[No F. 11014/4/73-FRY(WLF)]

RUP RAM, Under Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1973

सा. का. नि. 570.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य विभाग (वर्ग 1 और वर्ग 2 सचिवालय—इतर पद) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य विभाग (वर्ग 1 और वर्ग 2 सचिवालय—इतर पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वास्थ्य विभाग (वर्ग 1 और वर्ग 2 सचिवालय-इतर पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, " लेखा अधिकारी" के पद से संबंधित मद 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"17 ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य-अध्ययन)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-I, राजपत्रित	700-40-1100-50/2-1250 रु०	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता ।

8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	लागू नही होता	(क) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या, (ख) सविदा पर नियुक्ति द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तर या संविदा पर नियुक्ति** — केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन 350-900 रु० से अनिम्न वेतनमान मे किसी वर्ग 1 या वर्ग 2 (राजपत्रित) पदो मे से या पब्लिक सेक्टर उपक्रमो मे समतुल्य श्रेणी मे के अधिकारी— (क) जिनके पास विश्वविद्यालय की उपाधि या उसके समतुल्य हो, (ख) जिनकी किसी राजपत्रित पद पर या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम मे समतुल्य श्रेणी मे कम से कम आठ वर्ष की सेवा हो, और (ग) जिन्होने सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध सस्थान, रक्षा कार्य अध्ययन सस्थान के कार्य अध्ययन वृत्तिक चर्चा मे प्रशिक्षण या किसी अन्य सस्था मे समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । या कार्य अध्ययन या सगठन तथा पद्धति या विश्लेषणीय या सांख्यिकीय या अनुसधान से क्रिया और अन्य प्रबन्ध अनुसधान तकनीक के उपयोजन मे कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति या सविदा की अवधि सामान्यत 6 वर्ष से अनधिक)	लागू नही होता	सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), विनियम, 1958 के अधीन यथा-अपेक्षित ।"

[फा० सं० 14-12/69-ई आई]

यू० वी० वी० एल० नरसिंहम, अवर सचिव

Department of Food

New Delhi, the 15th May, 1973

G.S.R. 570.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Food (Class I and Class II Non-Secretariat Posts) Recruitment Rules, 1963, namely:

1. (1) These rules may be called the Department of Food (Class I and Class II Non-Secretariat Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Food (Class I and Class II Non-Secretariat Posts) Recruitment Rules, 1963, after item 16 relating to the post of "Accounts Officers" and the entries relating thereto, the following item and entries shall be added, namely:

1	2	3	4	5	6	7
"17 Senior Analyst (Work Study)	1	General Central Service Class I (Gazetted)	Rs. 700-40-1100-50/2-1250	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	(a) By transfer on deputation or (b) by appointment on contract	**Transfer on deputation or appointment on contract** Officers from any Class I or Class II (Gazetted) posts in the scale not lower than Rs. 350-900 under the Central Government or State Governments or equivalent grade in public sector undertakings, who have: (a) a University degree or its equivalent. (b) a minimum of 8 years service in a gazetted post of equivalent grade in a public sector undertaking and (c) successfully completed training in the work study practitioners course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other institution **OR** have at least 3 years experience in the application of work study or organisation and methods or analytical or statistical or operations research and other management research techniques (Period of deputation or contract-ordinarily not exceeding 6 years).	Not applicable	As required under the Union Public—Service Commission (Exemption from Consultation Regulations 1958)".

F. 14-12/69-EI]

U. V. V. L. NARASIMHAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1973

सा. का. नि. 571.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति-रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय में फार्म सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**—(1) इन नियमों का नाम वनस्पति रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय (फार्म सहायक) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं:**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

कृषि विभाग के वनस्पति -रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय में फार्म सहायक के पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
फार्म सहायक	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 (अराजपत्रित, अनुसूचित)	210-10-290-15-320-व०रो०-15-425 रु०	लागू नहीं होता ।	18 से 25 वर्ष ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीक्षीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० (कृषि) या समतुल्य । **वांछनीय** : 1. फार्म प्रबन्ध या उद्यान कृषि का अनुभव । 2. सस्य-विज्ञान या उद्यान कृषि में स्नातकोत्तर की उपाधि । 3. अध्यापन सुझाव ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।
10	11	12	13
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

[सं. 13-2/73-पी. पी. एस.]

New Delhi, the 24th May, 1973

G.S.R. 571.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Farm Assistant in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, namely :—

1. **Short title and commencement :**—(1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Farm Assistant) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay :**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc :**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications :**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax :**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Farm Assistant in the directorate of plant protection, quarantine and storage, department of agriculture.

Name of post	No. of post	Classifications	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Farm Assistant	1 (one)	General Central Service, Class III (Non-gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	Not applicable	18 to 25 years.	B.Sc (Agriculture) from a recognised University or equivalent. Desirable. 1. Experience in Farm Management or Horticulture. 2. Post graduate degree in Agronomy or Horticulture. 3. Teaching experience.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

[No. 13-2/73-PP.S]

सा. का. नि. 572.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति-रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय में कतिपय वर्ग-1 तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम वनस्पति-रक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय, वर्ग-1 तकनीकी पद भर्ती नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तुक उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

कृषि विभाग मे वनस्पति-रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय में (i) उपनिदेशक (वनस्पति रोग) (ii) उपनिदेशक (प्रशिक्षण) और (iii) मन्त्रिक, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड, के पदो के लिए भर्ती नियम ।

पद का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. उपनिदेशक (वनस्पति रोग)	1	3 साधारण, केन्द्रिय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	1300—60—1600 रुपये	लागू नही होता	45 वर्ष
2 उपनिदेशक (प्रशिक्षण)	1				
3. मन्त्रिक, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड (ये पद अन्तर्निमेय है)	1				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
7	8	9	10	11	12	13
आवश्यक						
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणिविज्ञान या कृषि सम्बन्धी प्राणिविज्ञान या कीटविज्ञान या वनस्पति विज्ञान या पादप रोग-विज्ञान या कृषि सम्बन्धी वनस्पति-विज्ञान या सस्य विज्ञान या कृषि (कृषि सम्बन्धी प्राणि विज्ञान या कृषि सम्बन्धी वनस्पति विज्ञान) में विशेषज्ञता सहित में एम० एस० सी० की उपाधि या समतुल्य अर्हताएं । (2) वनस्पति रक्षण कार्य संचालित करने का लगभग 10 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें खेत में और नाशीकीट-मार में अनुप्रयुक्त का पर्याप्त अनुभव सम्मिलित है । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित ।
वांछनीय (i) विशेषज्ञता के विषय में डाक्टरेट की उपाधि (ii) किसी विदेशी भाषा (जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश) का काम चलाऊ ज्ञान (iii) प्रशासनिक						

[सं० 13-1/73 पी० पी० एम०]

G.S.R. 572.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class I—Technical posts in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, namely :—

1. **Short title and commencement :**—(1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage Class I—Technical Posts (Recruitment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay :**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc :**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the schedule aforesaid.

Provided that the upper age-limit specified for direct recruits in column 6 of the said schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification :** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**:—Where the Central Government, is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving :**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the posts of (i) deputy Director (Plant Diseases) (ii) Deputy Director (Training) and (iii) Secretary, Central Insecticides Board in Directorate of Plant Protection, quarantine and storage, department (Agriculture).

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Deputy Director (Plant Diseases) . .	1	General Central Service Class I Gazetted.	Rs. 1300-60-1600.	Not applicable	45 years.
2. Deputy Director (Training) . . .	1				
3. Secretary, Central Insecticides Board. (These posts are interchangeable) .	1				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service is to be consulted in making recruitment
7	8	9	10	11	12	13
Essential (i) M.Sc. degree in Zoology or Agricultural Zoology or Entomology or Botany or Plant Pathology or Agricultural Botany or Agronomy or Agriculture (with specialisation in Agricultural Zoology or Agricultural Botany) from a recognised University or equivalent qualifications. (ii) About 10 years' practical experience of organising plant protection work including adequate experience in applied research in the field and in pesticides. (Qualifications relaxable at the descretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.) **Desirable** (i) A Doctorate degree in the subject of specialisation. (ii) Working Knowledge of a foreign language (German or French or Spanish). (iii) Administrative experience.	Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958.

[No. 13-1/73 PPS]

सा. का. नि. 573.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति-रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय, वर्ग 1 और वर्ग 2—तकनीकी पद (भर्ती) नियम, 1968 में संशोधन करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम वनस्पति-रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय, वर्ग 1 और वर्ग 2-तकनीकि पद (भर्ती) संशोधन नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वनस्पति-रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय, वर्ग 1 और वर्ग—2 तकनीकी पद (भर्ती) नियम, 1968 की अनुसूची में क्रमशः क्रम सं. 2 और 3 के सामने उपनिदेशक (वनस्पति रोग) और उपनिदेशक (प्रशिक्षण) के पदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

[सं. 13-1/73-पी. पी. एस.]

G.S.R. 573.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Class I and II-Technical Posts (Recruitment) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Class I and II-Technical Posts (Recruitment) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Class I and II-Technical Posts (Recruitment) Rules, 1968, the posts of Deputy Director (Plant Diseases) and Deputy Director (Training) against Serial Nos. 2 and 3 respectively and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 13-1/73-PPS]

नई दिल्ली, 25 मई, 1973

सा. का. नि. 574.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति-संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय (क्षेत्रीय रिपोर्टर) भर्ती नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय (क्षेत्रीय रिपोर्टर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय (क्षेत्रीय रिपोर्टर) भर्ती नियम, 1972 की अनुसूची में स्तंभ 7 के अन्तर्गत मद (1) में की प्रविष्टि के स्थान पर,

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एस. सी. (कृषि) या समतुल्य" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[सं. 2-43/71-पी. पी. एस.]

जे. चक्रवर्ती, अवर सचिव.

New Delhi, the 25th May, 1973

G.S.R. 574.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Field Reports) Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. (1) Those rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Field Reporters) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Field Reporters) Recruitment Rules, 1972, under Column 7 for the entry in item (i), the entry "B.Sc. (Agriculture) from a recognised University, or equivalent" shall be substituted.

[No. 2-43/71-PPS]

J. CHAKRABARTY, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 575.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का नाम रेलवे (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और जांच) नियम 1973 है ।

ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **सूचनाओं में दिए जाने वाले विवरण.**—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) जिसे "अधिनियम" कहा गया है, की धारा 83 में उल्लिखित सूचनाओं में निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा, अर्थात:—

(1) किलोमीटर—दूरी या स्टेशन या दोनों, जहां दुर्घटना घटी हो;

(2) दुर्घटना का समय और तारीख ,

(3) गाड़ी या गाड़ियों का नम्बर और उसका या उनका विवरण ;

(4) दुर्घटना का प्रकार ,

(5) हताहत व्यक्तियों की संख्या, जहां तक ज्ञात हो ;

(6) दुर्घटना का कारण, जहां तक ज्ञात हो, और

(7) यातायात में सम्भावित निरोध

3. **सूचनाएं भेजने की जिम्मेदारी—कितनी और किस ढंग से भेजी जाएगी.**—जब रेल संचालन के दौरान, अधिनियम की धारा 83 में वर्जित कोई दुर्घटना घटित हो, तो दुर्घटना स्थल से उस से पास का स्टेशन मास्टर, या जहां कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेलवे के उस खण्ड का भारसाधक रेल कर्मचारी, जहां दुर्घटना घटित हुई है, या रेलवे के किसी खण्ड का कोई अन्य भारसाधक स्टेशन मास्टर, जिससे दुर्घटना की रिपोर्ट की गई हो, दुर्घटना की सूचना, रेलसंरक्षा के ऊपर आयुक्त को, जिस जिले में दुर्घटना घटित हुई

हो उसके जिला मजिस्ट्रेट को और जिस पुलिस अधीक्षक को या ऐसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को, जिसे सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया हो, तार द्वारा और रेलवे पुलिस के अधीक्षक और उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर दुर्घटना घटित हुई हो, तार टेलीफोन या विशेष संदेशवाहक या किन्हीं अन्य उपलब्ध द्रुत माध्यम से देगा ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी दुर्घटनाओं में, जिनमें साधारणतः जन-हानि हुई हो, यात्री गाड़ियों की टक्कर, उनका पटरी से उतर जाना, गाड़ी ध्वंस या गाड़ी ध्वंस करने के प्रयास जैसी सभी दुर्घटनाएं, लाईन पर रखी गई रूकावटों के ऊपर से गाड़ी का गुजर जाना, यात्रियों के गाड़ी से बाहर गिरने या गाड़ियों में आग लगने के ऐसे मामले, जिनमें वस्तुतः कोई जन हानि न हुई हो, या किसी को भारतीय दंड संहिता में दी हुई परिभाषा के अनुसार गहरी चोट (जिसे इसमें इसके पश्चात गहरी चोट कहा गया है) न आई हो, या रेल सम्पत्ति को 1,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की गंभीर क्षति न पहुंची हो, किन्तु दुर्घटना के प्रकार को देखते हुए ऐसा होने की समुचित आशंका रही हो, और भू-स्खलन या वर्षा अथवा बाढ़ से लाईन टूट जाने के वे मामले भी शामिल माने जाएंगे जिनके कारण संचार की किसी महत्वपूर्ण थ्रू-लाइन पर कम से कम 24 घंटे यातायात में अवरोध हो जाये ।

4. **राज्य सरकार को सूचनाएं भेजने का ढंग.**—दुर्घटनाओं की यह सूचना, जिसका कि अधिनियम की धारा 83 के अधीन रेल प्रशासन द्वारा अनावश्यक विलम्ब के बिना भेजा जाना उपेक्षित है, राज्य सरकार को—

(क) निम्नलिखित दुर्घटनाओं में तार द्वारा—

(1) नियम 7 के स्पष्टीकरण के अधीन, जन-हानि के कारण, गंभीर समझी जाने वाली दुर्घटनाएं;

(2) ऐसी दुर्घटनाएं, जिनके कारण रेल पथ के 24 घंटों से अधिक समय के लिए बंद रहने की संभावना है, और

(3) गाड़ी ध्वंस या गाड़ी ध्वंस करने के प्रयास; और

(ख) अन्य सभी मामलों में पत्र द्वारा भेजी जाएगी ।

5. **रेल कर्मचारियों द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना.**—हर रेल कर्मचारी, रेल संचालन के दौरान घटित होने वाली ऐसी हर दुर्घटना की, जो उसकी जानकारी में आये, रिपोर्ट यथासंभव कम से कम विलम्ब में करेगा और ऐसी रिपोर्ट सबसे निकट के स्टेशन मास्टर से या जहां कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेलवे के उस खण्ड के भारसाधक रेल कर्मचारी से की जाएगी जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो ।

6. **स्टेशन मास्टर या खण्ड के भारसाधक रेल कर्मचारी द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना.**—स्टेशन मास्टर या खण्ड का भारसाधक रेल कर्मचारी, दुर्घटना की रिपोर्ट उन नियमों के अनुसार करेगा जो सम्बन्धित रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं ।

7. **रेल प्रशासन द्वारा गंभीर दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना.**—जब कभी कोई गंभीर दुर्घटना घटित हो, तो सम्बन्धित रेल प्रशासन, दुर्घटना घटने के बाद यथासंभव शीघ्र, प्रेस को तार द्वारा नियम 2 में उल्लिखित और तब तक उपलब्ध ब्यौरा भेजेगा; और आगे सूचना उपलब्ध होने के तुरंत बाद, यदि आवश्यक हो तो, अनुपूरक तार भेजे जाएंगे । साथ ही साथ, एक प्रति "एक्सप्रेस" तार द्वारा रेलवे बोर्ड, सम्बन्धित परिमंडल के रेल-संरक्षा के ऊपर आयुक्त और रेल-संरक्षा के आयुक्त को भी भेजी जाएगी । दुर्घटना का कारण बताते समय, रेल प्रशासन कोई ऐसा कथन नहीं देगा जिसकी सत्यता पर बाद में संदेह किया जाए ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए—

(1) किसी गाड़ी (चाहे वह यात्री ले जा रही हो या नहीं) की ऐसी हर दुर्घटना, जिसमें जन-हानि हुई हो या जिसमें किसी को गहरी चोट आई हो, या जिसमें रेल सम्पत्ति को 1,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की गंभीर क्षति पहुंची हो, और भू-स्खलन, वर्षा या बाढ़ से लाइन टूट जाने या गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण संचार के किसी महत्वपूर्ण थ्रू-लाइन पर कम से कम 24 घंटे अवरोध हो जाये, ऐसी हर दुर्घटना गंभीर दुर्घटना समझी जायेगी ।

(2) स्वयं अपनी लापरवाही से गाड़ी के नीचे आ जाने और हताहत होने वाले अतिचारियों या स्वयं अपनी लापरवाही से हताहत होने वाले यात्रियों के मामले गंभीर दुर्घटना नहीं समझे जाएंगे ।

8. **दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की सुविधा.**—जब कभी रेल संचालन के दौरान कोई दुर्घटना घटित हुई हो, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान, जिला मजिस्ट्रेट या नियम 17 के अधीन नियुक्त या प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट को या जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग को या किसी अन्य प्राधिकारी को, जिस पर उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबंध लागू किये गये हों और रेल-संरक्षा के ऊपर आयुक्त, चिकित्सा अधिकारियों, पुलिस व अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को सभी, उचित सहायता देगा ताकि वे दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुंच सकें और वह जांच करने और दुर्घटना के कारण के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने में भी इन प्राधिकारियों को सहायता देगा ।

9. **दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को डाक्टरी सहायता.**—जब किसी रेल संचालन के दौरान घटित होने वाली किसी दुर्घटना में किसी को गहरी चोट आ जाये तो सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह पीड़ितों को डाक्टरी सहायता दें और यह देखे कि जब तक पीड़ितों को उनके घर न पहुंचा दिया जाए या उन्हें उनके सम्बन्धियों या मित्रों को उन्हें न सौंप दिया जाये तब तक उनकी उचित प्रकार से और सावधानी पूर्वक सेवा सुश्रूषा की जाती है । ऐसे किसी मामले में, या किसी ऐसे मामले में जिसमें जनहानि हुई हो अथवा किसी को गहरी चोट आई हो, तो निकटतम उपलब्ध स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को, यदि वह रेलवे चिकित्सा अधिकारी की अपेक्षा अधिक निकट हो, बुलाया जाएगा ।

10. **न्यायिक जांच या रेल-संरक्षा के ऊपर आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच स्थल पर रेल कर्मचारियों की हाजरी की व्यवस्था करना.**—जब, रेलवे दुर्घटनाओं में कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 के नियम 2 के अधीन या इन नियमों के नियम 17 के अधीन कोई जांच या कोई न्यायिक जांच की जा रही हो, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान ऐसे सभी रेल कर्मचारियों की, जिनके साक्ष्य की ऐसी जांच के समय अपेक्षा की जाने की संभावना हो, जांच स्थल पर, जब तक आवश्यक हो, हाजिरी की व्यवस्था करेगा, और यदि जांच, रेलवे दुर्घटनाओं में कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 के नियम 2 के अधीन रेल संरक्षा के ऊपर आयुक्त द्वारा की जानी हो, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) और (ग) में उल्लिखित अधिकारियों को जांच शुरू होने की तारीख, समय और स्थान की सूचना दिलवायेगा । वह जांच में मण्डल अधिकारियों की हाजिरी की भी व्यवस्था करेगा ।

11. **रेलसंरक्षा के अपर आयुक्त की रिपोर्ट मिलने पर रेल प्रशासन के प्रधान द्वारा की जाने वाली कार्रवाई.**—जब कभी संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को, रेलवे दुर्घटनाओं में कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 के नियम 4 के अधीन रेल संस्था के ऊपर आयुक्त की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो, तो वह तुरंत उसकी पावती अभिस्वीकार करेगा। यदि रिपोर्ट में व्यक्त विचारों से उसके विचार भिन्न हों, तो वह उसी समय पर अपनी टिप्पणी भी देगा, या यदि वह तुरंत ऐसा करने में असमर्थ हो, तो रिपोर्ट की अभिस्वीकृति में वह रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त को अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा कि वह अपनी टिप्पणी बाद में भेजेगा। यदि संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों पर अभियोजना करना वांछनीय समझता हो, तो वह ऐसे व्यक्तियों के विवरण के साथ रिपोर्ट की एक प्रति उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिसमें दुर्घटना घटित हुई हो, या अन्य ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त करे और संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को तुरंत भेजेगा। रेल संरक्षा के अपर आयुक्त के निष्कर्षों की प्राप्ति पर पुलिस प्राधिकारी, संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को, कोई अभियोजन करने के बारे में अपने विनिश्चय की बाबत यथासंभव शीघ्र सूचित करेंगे।

12. **रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर रेल प्रशासन का प्रधान अपनी टिप्पणियां देगा.**—जब कभी रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त की रिपोर्ट किसी नियम अथवा रेल संचालन की प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता की ओर संकेत करे या परिवर्तन का सुझाव दे, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान, रिपोर्ट को अभिस्वीकार करते समय, वैसी दुर्घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए की गई अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना देगा या रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त को उसकी रिपोर्ट में दिये गये प्रस्तावों पर आगे रिपोर्ट देने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा।

13. **संयुक्त जांच न की जाय.**—(1) जब कभी, अधिनियम की धारा 83 में वर्णित कोई दुर्घटना, रेल संचालन के दौरान घटित हो, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान दुर्घटना के कारणों का पूरा अन्वेषण करने के निमित्त रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा शीघ्र जांच (जिसे "संयुक्त जांच" कहा जाये) करवाएगा।

परन्तु—

(क) यदि रेलवे दुर्घटनाओं में कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 के नियम 2 के अधीन रेल संरक्षा के अपर आयुक्त या जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी, जिस पर रेलवे दुर्घटनाओं में कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 के नियम 2 के अधीन उक्त अधिनियम के सभी अथवा कोई उपबंध लागू किये गये हों, द्वारा कोई जांच की जानी हो, या

(ख) यदि दुर्घटना के कारण के सम्बन्ध में कोई भी युक्तियुक्त सन्देह न हो, या

(ग) यदि संबंधित रेल प्रशासन का कोई विभाग सूचित करे कि वह इस मामले में पूरी जिम्मेदारी मानता है, तो इस प्रकार की जांच नहीं की जायेगी।

2. जहां कि उपनियम 1 के परन्तुक के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन इस प्रकार की जांच न की जानी हो वहां दुर्घटना के लिए उत्तरदायी रेल प्रशासन के विभाग के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच (जिसे "विभागीय जांच" कहा जाये) करे, जैसी वह आवश्यक समझता हो और यदि त्रुटि उसके कर्मचारियों या कार्य-प्रणाली की हो, तो ऐसे उपाय करे अथवा ऐसे उपायों का सुझाव दे, जिन्हें वह इस प्रकार की दुर्घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक समझता हो।

14. **संयुक्त जांच की सूचना.**—(1) जब कभी संयुक्त जांच की जानी हो, तो संबंधित रेल की सूचना प्रशासन का प्रधान निम्नलिखित अधिकारियों को जांच प्रारम्भ होने की तारीख तथा समय की सूचना देने की व्यवस्था करेगा, अर्थात :—

(क) उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जिसमें दुर्घटना घटित हुई हो या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, रेलवे पुलिस के अधीक्षक को तथा जिला पुलिस अधीक्षक को;

(ख) रेलवे के उस खण्ड के रेल संरक्षा के अपर आयुक्त को जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो, और

(ग) उस रेलवे पुलिस के प्रधान को, जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो, या यदि वहां कोई भी रेलवे पुलिस न हो, तो उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में वह स्थान पड़ता हो।

(2) जांच शुरू होने की तारीख व समय इस प्रकार नियत किये जाएंगे कि उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को उस स्थान पर जहां जांच होनी है, पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाये।

(3) जब रेलवे दुर्घटनाओं में कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 के नियम 2 के उपनियम (5) के अधीन जांच करने के लिए रेल संरक्षा के अपर आयुक्त की असमर्थता के बारे में सूचना प्राप्त होने पर किसी दुर्घटना की संयुक्त जांच की जाये तो संबंधित रेल प्रशासन इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी करेगा जिसमें जांच के दौरान साक्ष्य देने या दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रेस में विनिर्दिष्ट पते पर संयुक्त जांच समिति को सूचना भेजने के लिए जनता को आमंत्रित किया जायेगा।

15. **संयुक्त अथवा विभागीय जांच की रिपोर्ट रेल प्रशासन के प्रधान को भेजी जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी.**—(1) जैसे ही कोई संयुक्त अथवा विभागीय जांच समाप्त हो, यथास्थिति, रेल अधिकारियों की समिति का अध्यक्ष या विभाग का प्रधान, सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें, नियम 7 के स्पष्टीकरण में वर्णित सभी प्रकार की दुर्घटनाओं के मामले में, निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा :—

(क) दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन,

(ख) दुर्घटना-स्थल का वर्णन,

(ग) लिये गए साक्ष्य का ब्यौरेवार विवरण,

(घ) विसम्मति नोट, यदि कोई हो, सहित निकाले गये निष्कर्ष,

(ङ) निकाले गए निष्कर्षों के कारण,

(च) हुई क्षति का प्रकार और सीमा,

(छ) दुर्घटना का दृष्टांत रूप एक नक्शा, यदि आवश्यक हो,

(ज) हत या आहत रेल कर्मचारियों की संख्या,

(झ) हत या आहत यात्रियों की संख्या,

(ञ) एक परिशिष्ट जिसमें उन नियमों के उद्धरण होंगे जिनका अतिक्रमण दुर्घटना के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों द्वारा किया गया हो,

(2) संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान, दुर्घटना के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अभिप्रेत कार्रवाई अथवा नियमों या कार्य-प्रणाली के पुनरीक्षण के लिए कार्रवाई के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी सहित, उपनियम (1) में निर्देशित रिपोर्ट की एक प्रति—

(क) रेलवे के उस खण्ड के रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त को भेजेगा जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो,

(ख) यदि नियम 17 के अधीन कोई जांच या अन्वेषण न किया गया हो, या यदि कोई संयुक्त या विभागीय जांच पहले की गयी हो, तो जिला मजिस्ट्रेट को या नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी को भेजेगा; और

(ग) यदि कोई न्यायिक जांच की जा रही हो, तो जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

(3) पूर्वोक्त रिपोर्ट की प्रति के साथ—

(क) उपनियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट मामले में उन व्यक्तियों का एक विवरण भेजा जाएगा जिनका दुर्घटना में हाथ हो और जिन पर अभियोजन करना संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान वांछनीय समझता हो; और

(ख) उपनियम (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट मामले में, जांच में लिये गये साक्ष्य की एक प्रति भेजी जाएगी ।

16. धारा 83 के अन्तर्गत न आने वाली दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त को भेजी जाएगी.—(1) जब कभी अधिनियम की धारा 83 में विनिर्दिष्ट प्रकृति से भिन्न प्रकार की कोई दुर्घटना, जैसे टक्करों को बचा लेना, ब्लाक नियमों के उल्लंघन या अन्य तकनीकी दुर्घटनाएं, किसी रेल संचालन के दौरान घटित होती हैं तो सम्बन्धित रेल प्रशासन दुर्घटना की संयुक्त या विभागीय जांच करा सकता है ।

(2) यदि उपनियम (1) की व्यवस्था के अनुसार कोई जांच की जाती है तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान जांच रिपोर्ट की एक प्रति, रेलवे के जिस खण्ड पर दुर्घटना घटी हो, उसके रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त को भेजेगा ।

17. **मजिस्ट्रेट द्वारा जांच.**—जब कभी अधिनियम की धारा 83 में वर्णित कोई दुर्घटना रेल संचालन के दौरान घटित हो, तो जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त नियुक्त किया हो या तो—

(क) उन कारणों की जांच, जिनकी वजह से दुर्घटना हुई है, स्वयं कर सकेगा, या

(ख) ऐसी जांच करने के लिए किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को, जो यदि संभव हो तो, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट हो, प्रतिनियुक्त कर सकेगा, या

(ग) यह निर्देश कर सकेगा कि जिन कारणों की वजह से दुर्घटना घटी है, उनका अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जाये ।

लेकिन यदि, दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन दुर्घटना की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसने जांच करने के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो और उस प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबंध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिए हों, तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी इस नियम के अधीन अपनी जांच या अन्वेषण नहीं करेगा और यदि उसने अपनी जांच या अन्वेषण शुरू कर दिया हो, तो उसे और आगे नहीं बढ़ायेगा, और ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जांच या अन्वेषण से संबंधित साक्ष्य, अभिलेख या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे में हों, ऐसे प्राधिकारी को सौंप देगा जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

18. **मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच की सूचना.**—जब कभी नियम 17 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन जांच करने का विनिश्चय किया जाये, तो, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त से नियुक्त अन्य मजिस्ट्रेट या नियम 17 के खण्ड (ख) के अधीन प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट तुरन्त रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त को, संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को और मण्डल अधीक्षक को तार द्वारा जांच शुरू होने की तारीख और समय की सूचना देगा ताकि रेल प्रशासन अपेक्षित विशेषज्ञ साक्ष्य समन कर सके । ऐसी सूचना भेज देने के बाद वह दुर्घटना-स्थल पर जायेगा और वहां जांच करेगा ।

19. **न्यायिक जांच**—नियम 17 के अधीन जांच करने वाला मजिस्ट्रेट किसी रेल कर्मचारी और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी हाजिरी वह आवश्यक समझे, समन कर सकेगा और साक्ष्य लेने और जांच पूरी करने के बाद, यदि उसके विचार में न्यायिक जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हों, तो वह उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगा, जिसे वह दुर्घटना के लिए अपराधी रूप से दायी समझता हो जब कभी तकनीकी विषय अंतर्ग्रस्त हो, तो मजिस्ट्रेट रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त या अन्य वृत्तिक व्यक्तियों की राय मानेगा ।

20. **मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच का परिणाम रेल प्रशासन के प्रधान को संसूचित किया जायेगा.**—नियम 17 के अधीन की गयी हर जांच या अन्वेषण का परिणाम उस मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने ऐसी जांच या अन्वेषण किया हो, संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान और रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त को संसूचित किया जायेगा ।

21. **न्यायिक जांच करने वाले मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त और रेल कर्मचारियों को समन करने की प्रक्रिया.**—(1) यदि रेल संचालन के दौरान घटित किसी दुर्घटना की कोई न्यायिक जांच करते समय ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त या संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान की सहायता चाहता हो, या रेल पर्यवेक्षण, प्रबंध या संचालन से संबंधित किसी विषय को समझाने के लिए, रेलवे के किसी अन्य अधिकारी की हाजिरी चाहता हो, तो वह रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त को या ऐसे विषय को समझाने के लिए सक्षम किसी अन्य रेल अधिकारी की न्यायालय में हाजरी के लिए, यथास्थिति, रेल-संरक्षा के आयुक्त या संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान के नाम मांग-पत्र भेजेगा और ऐसे करते समय वह यह भी सूचित करेगा कि वह किस प्रकार की सहायता चाहता है । रेल कर्मचारियों को समन करते समय, मजिस्ट्रेट इस बात का ध्यान रखेगा कि रेल कर्मचारियों को, विशेषतः एक ही वर्ष के कर्मचारियों को, एक ही

दिन इतनी बड़ी संख्या में समन न किया जाये कि उससे रेल संचालन में असुविधा हो । बहुत गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में मजिस्ट्रेट के लिए साधारणतः यह उचित होगा कि न्यायिक जांच को अंतिम रूप से समाप्त करने से पहले दुर्घटना के संबंध में वह रेल-संरक्षा के अपर आयुक्त तथा सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान, दोनों की रिपोर्ट मंगा ले ।

(2) यदि रेलवे दुर्घटनाओं की कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 के नियम 4 के अधीन प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में उन तकनीकी विषयों पर जिनका स्पष्टीकरण अपेक्षित था, रेल संरक्षा के अपर आयुक्त की राय पहले ही अभिव्यक्त की जा चुकी हो, तो न्यायिक जांच करने वाला मजिस्ट्रेट यथासंभव, अपर आयुक्त को समन नहीं करेगा ।

22. न्यायिक जांच के निर्णय की रेल प्रशासन, रेल संरक्षा के अपर आयुक्त और राज्य सरकार को संसूचना.—न्यायिक जांच की समाप्ति पर, मजिस्ट्रेट अपने निर्णय की एक प्रति सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान को और रेल संरक्षा के अपर आयुक्त को भेजेगा और जब तक कि वह किसी मामले में ऐसा करना आवश्यक न समझे, जांच के परिणाम की रिपोर्ट राज्य सरकार से करेगा ।

23. **पुलिस अन्वेषण कब न किया जाए**—(1) रेल संचालन के दौरान घटित किसी भी दुर्घटना के कारणों का अन्वेषण रेलवे पुलिस कर सकती है और वह ऐसा तब करेगी :—

(क) जब कभी ऐसी दुर्घटना में जनहानि हुई हो या गहरी चोट आयी हो या रेल सम्पत्ति को 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या दुर्घटना प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक कार्य चूक के कारण घटी हो ; या

(ख) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट या नियम 17 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट ने उस नियम के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा करने का निदेश किया हो ;

परन्तु जब नियम 17 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई जांच शुरू कर दी गयी हो या उसका आदेश दे दिया गया हो तो इस प्रकार का कोई भी अन्वेषण नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि जहां, दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन दुर्घटना की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसमें जांच करने के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो और उस प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबंध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिए हों, वहां रेलवे पुलिस इस नियम के अधीन कोई अन्वेषण नहीं करेगी और जहां कि उन्होंने अपना अन्वेषण शुरू कर दिया हो, वहां उसे और नहीं बढ़ाएगी, और अन्वेषण से सम्बन्धित अभिलेख या अन्य दस्तावेज, जो उनके कब्जे में हों, ऐसे प्राधिकारी को सौंप देंगे, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) **रेलवे पुलिस जनहानि या गहरी चोट या रेल सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने वाली हर दुर्घटना की रिपोर्ट करेगी.**—रेलवे पुलिस रेल संचालन के दौरान घटित होने वाली ऐसी दुर्घटना को, जो उसकी जानकारी में आए, रिपोर्ट, जिसमें जनहानि हुई हो या गहरी चोट आयी हो या रेल सम्पत्ति की 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या जो प्रथमदृष्टया किसी अपराधिक कार्य या चूक के कारण घटी हो यथासंभव कम से कम विलम्ब में उससे निकट के स्टेशन मास्टर से या जहां कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेलवे के उस खण्ड के भारसाधक रेल कर्मचारी से करेगी जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो ।

24 **दुर्घटना का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी की हैसियत.**—(1) जब कभी किसी रेलवे पुलिस द्वारा—

(क) किसी ऐसे मामले का, जिसमें दुर्घटना में जनहानि हुई हो या गहरी चोट आयी हो या रेल सम्पत्ति को 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की गंभीर क्षति पहुंची हो, या

(ख) नियम 17 के खण्ड (ग) के अधीन दिए निदेश के अनुसरण में

अन्वेषण करना हो, तो—

यह अन्वेषण उस क्षेत्र की रेलवे पुलिस के प्रधान द्वारा किया जाएगा जहां दुर्घटना घटित हुई है, या यदि वह अधिकारी स्वयं अन्वेषण करने में असमर्थ हो, तो उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रतिनियुक्त अधिकारी साधारणतः उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी, और जब कभी सम्भव हो, राजपत्रित अधिकारी होगा और किसी भी स्थिति में निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा ।

परन्तु—

(1) उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में, यदि एक से अधिक व्यक्ति की जीवन हानि न हुई हो या एक से अधिक व्यक्ति को गहरी चोट न आयी हो या रेल सम्पत्ति को 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की क्षति न पहुंची हो या जहां ऐसा संदेह करने का कोई कारण न हो कि कोई रेल कर्मचारी रेल संचालन से सम्बन्धित किसी नियम की अपेक्षा करने का दोषी है, या

(ii) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी मामले में यदि जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार का निर्देश करता है, तो अन्वेषण पुलिस स्टेशन के किसी भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है ।

25. **पुलिस अन्वेषण की सूचना.**—नियम 24 के अनुसरण करने वाला अधिकारी तत्काल सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान और मण्डल अधीक्षक को तार द्वारा अन्वेषण शुरू होने की तारीख और समय की सूचना देगा, ताकि, यदि संभव हो तो, कार्यवाही को देखने तथा अन्वेषण करने वाले अधिकारी की सहायता के निमित्त किसी रेल पदधारी की हाजिरी की व्यवस्था की जा सके । इस प्रकार की सूचना भेज देने के बाद वह अविलम्ब दुर्घटना-स्थल पर जाएगा और वहां अन्वेषण करेगा । रेल पदाधिकारी की गैरहाजिरी के कारण अन्वेषण में विलम्ब नहीं किया जाएगा और उसे दुर्घटना घटित होने के बाद यथासंभव शीघ्र किया जाएगा ।

26. **जिला पुलिस द्वारा सहायता.**—(1) ऐसे हर मामले में जिस पर नियम 24 लागू होता है, उस क्षेत्र की रेलवे पुलिस द्वारा जिला पुलिस को शीघ्र सूचना दी जाएगी ; जो, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, सभी आवश्यक सहायता देगी और आवश्यकता पड़ने पर, रेल परिसर की सीमा से बाहर अन्वेषण करेगी । लेकिन सीमाओं के भीतर अन्वेषण करने के लिए मुख्यतः उस क्षेत्र की रेलवे पुलिस ही उत्तरदायी होगी ।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस अन्वेषण समाप्त होने के बाद मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय रेलवे पुलिस के हाथ में होगा ।

27. **पुलिस के अन्वेषण के परिणाम की संसूचना.**—पुलिस के हर अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट तुरंत जिला मोजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी से, सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान से या उसके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी से और रेल-सुरक्षा के अपर आयुक्त से की जाएगी ।

28. **जिला पुलिस रेलवे पुलिस के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी.**—जहां क्षेत्र में कोई भी रेलवे पुलिस न हो, वहां नियम 23, 24 और 25, नियम 26 के उपनियम (2) और नियम 27 द्वारा क्षेत्र की रेलवे पुलिस या उस रेलवे पुलिस के प्रधान पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन, यथास्थिति, जिला पुलिस द्वारा या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा ।

29. **निरसन और व्यावृत्ति.**—(1) रेलवे (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और जांच) नियम, 1966, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 59-टी टी-5/42/1, तारीख 11 अप्रैल, 1966 के साथ प्रकाशित किए गए थे, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, एतद्द्वारा निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

एच. एफ. पिन्टो, सचिव रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 19th April,, 1973

G.S.R. 575.—In exercise of the powers conferred by section 84 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. **Short title.**—These rules may be called the Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1973.
They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Particulars to be given in the notices.**—The notices mentioned in section 83 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), referred to as "the Act", shall contain the following particulars, namely :—

(i) kilometrage, or station or both, at which the accident occurred ;

(ii) time and date of the accident ;

(iii) number and description of the train or tarins ;

(iv) nature of the accident ;

(v) number of people killed or injured, as far as is known ;

(vi) cause of the accident, as far as is known ; and

(vii) probable detention to traffic.

3. **Responsibilty for sending notices—to whom to be sent and mode thereof.**—When any accident such as is described in section 83 of the Act occurs in the course of working a railway, the station master nearest to the place at which the accident has occurred, or, where there is no station master, the railway servant incharge of the section of the railway on which the accident has occurred or any other Station Master incharge of a section of a railway to whom the report of the accident is made, shall give notice of the accident by telegraph to the Additional Commissioner of Railway Safety, the District Magistrate and the District Superintendent of Police of the district in which the accident has occurred or such other Magistrate or police officer as may be appointed in this behalf by the State Government concerned and by telegraph, telephone or through special messenger or such other quick means as may be available, to the Superintendent of Railway Police and to the officer-in-charge of the police station within the local limits of which it has occurred.

Explanation.—For the purpose of this rule accidents of a description usually attended with loss of human life are meant to include all accidents to passenger trains like collisions, derailments, tarin-wrecking, or attempted train-wrecking, cases of running over obstructions placed on the line, of passengers falling out of trains or of fires in trains, in which no loss of life or grievous hurt as defined in the Indian Penal Code (herein after referred to as the grievous hurt), or serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 1,00,000 has actually occured but which by the nature of the accident might reasonably have been expected to occur; and also cases of landslides or of breaches by rain or flood which cause the interuption of any important through line of communication for at least 24 hours.

4. **Mode of sending notices to the State Government.**—The notice of accidents required by section 83 of the Act to be sent without unnecessary delay by the Railway administration shall be sent to the State Government—

(a) by telegram in the case of—

(i) accidents deemed under the Explanation to rule 7 to be serious by reason of loss of human life ;

(ii) accidents by reason of which the permanent way is likely to be blocked for more than twenty four hours ; and

(iii) train-wrecking or attempted train-wrecking ; and

(b) by letter in all other cases.

5. **Railway servants to report accidents.**—Every railway servant shall report, with as little delay as possible, every accident occuring in the course of working the railway which may come to his notice and such report shall be made to the nearest station master, or, where there is no station master, to the railway servant in charge of the section of the railway on which the accident has occured.

6. **Station master or railway servant in charge of the section to report accidents.**—The station master, or the railway servant in charge of the section, shall report the accident in accordance with the rules laid down by the railway administration concerned for the reporting of accidents.

7. **Railway Administration to report serious accidents.**—Whenever a serious accident occurs, the railway administration concerned shall, as soon after the accident as possible, by telegraph supply to the Press such particulars, as are mentioned in rule 2 and as are till then available, supplementary telegrams, if necessary, shall be despatched immediately after further information is available. A copy shall be sent simultaneously by "Express" telegram to the Railway Board, the Additional Commissioner of Railway Safety of the circle concerned and the Commissioner of Railway Safety. In stating the cause of the accident the railway administration shall avoid making any statement the correctness of which may subsequently be questioned.

Explanation.—For the purpose of this rule—

(i) every accident to a train (whether carrying passengers or not) which is attended with loss of human life or with grievous hurt, or with serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 1,00,000 and every accident, such as a landslide, breach by rain or flood or derailment which causes the interruption of any important through line of communication for at least twenty four hours, shall be deemed to be a serious accident ; and

(ii) cases of trespassers run over and injured or killed through their own carelessness or of passengers injured or killed through their own carelessness shall not be deemed to be serious accidents.

8. **Facility for reaching the site of the accident.**—Whenever any accident has occurred in the course of working a railway, the Head of the Railway Administration concerned shall give all reasonable aid to the District Magistrate or the Magistrate appointed or deputed under rule 17 or to the Commission of Inquiry appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or any other authority to which all or any of the provisions of the said Act have been made applicable, and to the Additional Commissioner of Railway Safety, medical officers, the police and others concerned to enable them to reach the scene of the accident promptly, and shall also assist those authorities in making inquiries and in obtaining evidence as to the cause of the accident.

9. **Medical aid to the persons grievously hurt in accidents.**—Whenever any accident, occurring in the course of working a railway, has been attended with grievous hurt, it shall be the duty of the Head of the Railway Administration concerned to afford medical aid to the sufferers, and to see that they are properly and carefully attended to till they are removed to their homes or handed over to the care of their relatives or friends. In any such case, or in any case in which any loss of human life or grievous hurt, has occurred, the nearest available local medical officer shall be sent for if such medical officer is nearer at hand than the railway medical officer.

10. **Arranging attendance of railway servants at the place of Judicial Inquiry or Inquiries conducted by Additional Commissioner of Railway Safety or a Magistrate.**—When an inquiry under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1973, or under rule 17 of these rules, or a judicial inquiry is being made, the Head of the Railway Administration concerned shall arrange for the attendance, as long as may be necessary, at the place of inquiry, of all railway servants whose evidence is likely to be required at such inquiry; and if the inquiry is to be held by the Additional Commissioner of Railway Safety under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1973, the Head of the Railway Administration concerned shall cause notice of the date, hour and place at which the inquiry will begin to be given to the officers mentioned in clauses (a) and (c) of sub-rule (1) of rule 14. He shall also arrange for the attendance of the divisional officers at the inquiry.

11. **Action to be taken by Head of the Railway Administration on receipt of the report of Additional Commissioner of Railway Safety.**—Whenever the Head of the Railway Administration concerned receives a copy of the report of the Additional Commissioner of Railway Safety under rule 4 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1973, he shall at once acknowledge its receipt. If he differs from the views expressed in the report, he shall at the same time submit his remarks thereon, or, if he is not able to do so immediately, he shall, in his acknowledgement of the report, inform the Additional Commissioner of Railway Safety of his intention to submit his remarks later. If the Head of the Railway Administration concerned considers the prosecution of any person or persons desirable, he shall immediately forward a copy of the report together with a statement of such persons to the District Magistrate of the district in which the accident occurred, or to such other officer as the State Government may appoint in this behalf and to the concerned police authorities. On receipt of the findings of the Additional Commissioner of Railway Safety, the police authorities shall, as soon as possible, intimate the Head of the Railway Administration concerned about their decision regarding launching of any prosecution.

12. **Head of the Railway Administration to offer remarks on the suggestions made in the report of Additional Commissioner of Railway Safety.**—Whenever the report of the Additional Commissioner of Railway Safety points to the necessity for or suggests a change in any of the rules or in the system of working of the railway, the Head of the Railway Administration concerned shall, when acknowledging the report, intimate the action which has been taken, or which it is proposed to take, to prevent a recurrence of similar accidents or shall inform the Additional Commissioner of Railway Safety of his intention to report further on the proposals contained in the report of the Additional Commissioner of Railway Safety.

13. (1) **Joint inquiry—when dispensed with.**—Whenever an accident, such as is described in section 83 of the Act has occurred in the course of working a railway, the Head of the Railway Administration concerned shall cause an inquiry to be promptly made by a committee of railway officers (to be called a "joint inquiry") for the thorough investigation of the causes which led to the accident:

Provided that such an inquiry may be dispensed with—

(a) if any inquiry is to be held by the Additional Commissioner of Railway Safety under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1973, or a Commission of Inquiry appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or any other authority appointed by the Central Government to which all or any of the provisions of the said Act have been made applicable under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1973, or

(b) if there is no reasonable doubt as to the cause of the accident; or

(c) if any department of the railway administration concerned intimates that it accepts all responsibility in the matter.

(2) Where such inquiry is dispensed with under clause (b) or (c) of the proviso to sub-rule 1, it shall be the duty of the Head of the department of the Railway Administration responsible for the accident to make such inquiry (to be called a "departmental inquiry") as he may consider necessary and, if his staff or the system of working is at fault, to adopt or suggest such measures as he may consider necessary for preventing a recurrence of similar accidents.

14. (1) **Notice of Joint Inquiry.**—Whenever a joint inquiry is to be made, the head of the Railway Administration concerned shall cause notice of the date and hour at which the inquiry will commence to be given to the following officers, namely:—

(a) the District Magistrate of the district in which the accident occurred, or such other officer as the State Government may appoint in this behalf, the Superintendent of the Railway Police and the District Superintendent of Police;

(b) the Additional Commissioner of Railway Safety for the section of the railway on which the accident occurred; and

(c) the Head of the Railway Police having jurisdiction at the place where the accident occurred or, if there are no Railway Police, the officer-in-charge of the police station having jurisdiction at such place.

(2) The date and hour at which the inquiry will commence shall be fixed so as to give the officers mentioned in sub-rule (1) sufficient time to reach the place where the inquiry is to be held.

(3) When a joint inquiry is held into an accident on receipt of information about the inability of the Additional Commissioner of Railway Safety to hold an inquiry, under sub-rule (5) of rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1973, the Head of the Railway Administration concerned shall also issue a Press Note in this behalf inviting the public to tender evidence at the inquiry or send information relating to the accident to the joint inquiry committee at an address specified in the Press Note.

15. (1) **Report of the joint or departmental inquiry to be sent to the Head of the Railway Administration and action to be taken thereon.**—As soon as any joint or departmental inquiry has been completed, the President of the committee of railway officers or the Head of the department, as the case may be, shall send to the Head of the Railway Administration concerned a report which, in the case of all accidents of the nature described in the explanation to rule 7, shall contain—

(a) a brief description of the accident;

(b) a description of the locality of the accident;

(c) a detailed statement of the evidence taken;

(d) the conclusions arrived at together with a note of dissent, if any;

(e) reasons for conclusions arrived at;

(f) the nature and extent of the damage done ;

(g) when necessary, a sketch illustrative of the accident ;

(h) the number of railway servants killed or injured ;

(i) the number of passengers killed or injured ;

(j) an appendix containing extracts of the rules violated by the staff responsible for the accident.

(2) The Head of the Railway Administration concerned shall forward, with his remarks as to the action it is intended to take in regard to the staff responsible for the accident or for the revision of the rules or the system of working, a copy of the report referred to in sub-rule (1) —

(a) to the Additional Commissioner of Railway Safety for the section of the railway on which the accident occurred;

(b) if no inquiry or investigation has been made under rule 17 or if a joint or departmental inquiry has been held first, to the District Magistrate or the officer appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 14; and

(c) if any judicial inquiry is being made, to the magistrate making such inquiry.

(3) The copy of the report aforesaid shall be accompanied :—

(a) in the case referred to in clause (b) of sub-rule (2), by a statement of the persons involved in the accident whose prosecution the Head of the Railway Administration concerned considers to be desirable;

(b) in the case referred to in clause (c) of sub-rule (2), by a copy of the evidence taken at the inquiry;

16. (1) **Reports of inquiries into accidents not covered by section 83 to be forwarded to Additional Commissioner of Railway Safety.**—Whenever any accident not of the nature specified in section 83 of the Act, such as averted collisions, breaches of block rules or other technical accidents, occurs in the course of working a railway, the railway administration concerned may cause an inquiry either joint or departmental to be held into the accident.

(2) Where an inquiry is held as provided under sub-rule (1), the Head of the Railway Administration concerned shall forward a copy of the report of the inquiry to the Additional Commissioner of Railway Safety for the section of the railway on which the accident occurred.

17. **Magisterial inquiry.**—Whenever an accident, such as is described in section 83 of the Act, has occurred in the course of working a railway, the District Magistrate or any other Magistrate who may be appointed in this behalf by the State Government, may, either —

(a) himself make an inquiry into the causes which led to the accident; or

(b) depute a subordinate Magistrate, who, if possible, should be a Magistrate of the first class, to make such an inquiry; or

(c) direct investigation into the causes which led to the accident, to be made by the police:

Provided that where, having regard to the nature of the accident, the Central Government has appointed a Commission of Inquiry to inquire into it under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or has appointed any other authority to inquire into it and for that purpose has made all or any of the provisions of the said Act applicable to that authority, a Magistrate or a police officer shall not make his inquiry or investigation under this rule and, where he has already commenced his inquiry or investigation, shall not proceed further with it; and such Magistrate or police officer shall hand over the evidence, records or other documents in his possession relating to the inquiry or investigation to such authority as may be specified by the Central Government in this behalf.

18. **Notice of Magisterial inquiry.**—Whenever it is decided to make an inquiry under clause (a) or clause (b) of rule 17, the District Magistrate or other Magistrate appointed as aforesaid or the Magistrate deputed under clause (b) of rule 17 as the case may be, shall at once inform the Additional Commissioner of Railway Safety, the Head of the Railway Administration concerned and the Divisional Superintendent by telegraph, of the date and hour at which the inquiry will commence so as to enable the railway administration to summon the requisite expert evidence. After sending such information, he shall proceed to the scene of the accident and conduct the inquiry there.

19. **Judicial inquiry.**—A Magistrate, making an inquiry under rule 17, may summon any railway servant, and any other person whose presence he may think necessary, and after taking the evidence and completing the inquiry, shall, if he considers that there are sufficient grounds for holding a judicial inquiry, take the requisite steps for bringing to trial any person whom he may consider to be criminally liable for the accident. Whenever technical points are involved, the Magistrate shall call for the opinion of the Additional Commissioner of Railway Safety or other professional persons.

20. **The result of magisterial inquiry to be communicated to the Head of the Railway Administration.**—The result of every inquiry or investigation made under rule 17 shall be communicated by the Magistrate who has held such inquiry or investigation, to the Head of the Railway Administration concerned and to the Additional Commissioner of Railway Safety.

21. (1) **Procedure for summoning the Additional Commissioner of Railway Safety and railway servants to assist the Magistrate holding judicial inquiry.**—If, in the course of any judicial inquiry into an accident occurring in the course of working a railway, the Magistrate holding such inquiry desires the assistance of the Additional Commissioner of Railway Safety or of the Head of the Railway Administration concerned, or the attendance of any officer of the railway to explain any matter relating to railway supervision, management or working, he shall issue a requisition to the Commissioner of Railway Safety or the Head of the Railway Administration concerned, as the case may be, for the attendance in the court, of the Additional Commissioner of Railway Safety or other railway officer competent to explain such matter, stating at the same time the nature of the assistance required. In summoning railway servants, the Magistrate shall take care not to summon on the same day so large a number of the employees, especially of one class, as to cause inconvenience to the working of the railway. In the case of very serious accidents it will generally be advisable for the Magistrate to obtain reports from both the Additional Commissioner of Railway Safety and the Head of the Railway Administration concerned in regard to the accident, before finally concluding the judicial inquiry.

(2) The Magistrate conducting the judicial inquiry shall, as far as possible, avoid summoning the Additional Commissioner of Railway Safety, if in the report submitted under rule 4 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1973, the opinion of the said Additional Commissioner on technical matters which required explanation has already been expressed.

22. **Communication of the decision of judicial inquiry to the Railway Administration, Additional Commissioner of Railway Safety and the State Government.**—On the conclusion of the judicial inquiry the Magistrate shall send a copy of his decision to the Head of the Railway Administration concerned and to the Additional Commissioner of Railway Safety, and shall, unless in any case he thinks it unnecessary to do so, report the result of the inquiry to the State Government.

23. (1) **Police investigation—When to be dispensed with.**—The Railway Police may make an investigation into the causes which led to any accident occurring in the course of working a railway and shall do so :—

(a) whenever any such accident is attended with loss of human life or with grievous hurt, or with serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 1,00,000, or has prima facie been due to any criminal act or omission; or

(b) whenever the District Magistrate or the Magistrate appointed under rule 17 has given a direction under clause (c) of that rule :

Provided that no such investigation shall be made when an inquiry has been commenced or ordered under clause (a) or clause (b) of rule 17 :

Provided further that where, having regard to the nature of the accident, the Central Government has appointed a Commission of Inquiry to inquire into it under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or has appointed any other authority to inquire into it and for that purpose has made all or any of the provisions of the said Act applicable to that authority, the Railway Police shall not make an investigation under this rule, and, where they have already commenced their investigation, shall not proceed further with it; and shall hand over the records or other documents in their possession relating to the investigation to such authority, as may be specified by the Central Government in this behalf.

(2) **Railway Police to report every accident involving loss of life or grievous hurt or serious damage to railway property.**—The Railway Police shall report, with as little delay as possible to the nearest station master, or where there is no station master, to the railway servant in-charge of the section of the railway on which the accident has occurred, every accident which may come to their notice occurring in the course of working a railway attended with loss of human life, or with grievous hurt or with serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 1,00,000 or which has prima facie been due to any criminal act or omission.

24 (1) **Status of police officer investigating the accident.**—Whenever an investigation is to be made by the Railway Police :—

(a) in a case in which an accident is attended with loss of human life or with grievous hurt, or with serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 1,00,000; or

(b) in pursuance of a direction given under clause (c) of rule 17,

the investigation shall be conducted by Head of the Railway Police of the area in which the accident has occurred, or if that officer is unable to conduct the investigation himself, by an officer to be deputed by him.

(2) The officer deputed under sub-rule (1) shall ordinarily be the senior officer available, and shall whenever possible be a Gazetted Officer, and shall in no case be of rank lower than that of an Inspector :

Provided that the investigation may be carried out by an officer-in-charge of a police station :—

(i) in a case such as is referred to in clause (a) of sub-rule (1), if no loss of life or grievous hurt has been caused to more persons than one or no damage to railway property of value exceeding Rs. 1,00,000 has been caused or there is no reason to suspect that any servant of the railway has been guilty of neglect of any rule relating to the working of the railway; or

(ii) in the case referred to in clause (b) of sub-rule (1), if the District Magistrate so directs.

25. **Notice of police investigation.**—The Officer who is to conduct an investigation in pursuance of rule 24 shall at once inform the Head of the Railway Administration concerned and the Divisional Superintendent by telegraph of the date and hour at which the investigation will commence so that, if possible, the presence of a railway official may be arranged for to watch the proceedings and to aid the officer making the investigation. After sending such advice, he shall proceed without delay to the scene of the accident and conduct the investigation there. The absence of a railway official shall not, however, be allowed to delay the investigation which shall be conducted as soon as possible after the accident has taken place.

26. (1) **Assistance by the District police.**—In every case to which rule 24 applies, immediate information shall be given by the Railway Police of the area to the District Police, who, if so required, shall afford all necessary assistance and shall, if occasion arises, carry the investigation beyond the limits of the railway premises. But the Railway Police of the area shall primarily be responsible for carrying on the investigation within such limits.

(2) Subject to the provisions contained in these rules, the further prosecution of the case, on the conclusion of the police investigation, shall rest with the Railway Police.

27. **Communication of the result of police investigation.**—The result of every police investigation shall be reported at once to the District Magistrate or other officer appointed in this behalf by the State Government, to the Head of the Railway Administration concerned or other officer appointed by him, and to the Additional Commissioner of Railway Safety.

28. **District Police to discharge duties of Railway Police.**—Where there are no Railway Police in the area, the duties imposed by rules 23, 24 and 25, sub-rule (2) of rule 26, and rule 27 on the Railway Police of the area, or on the head of such Railway Police, shall be discharged by the District Police or by the District Superintendent of Police, as the case may be.

29. **Repeal and Saving.**—(1) The Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1966, published with the notification of Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. 59-TTV/42/1 dated the 11th April, 1966, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules hereby repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

H. F. PINTO, Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 5th April, 1973

G.S.R. 576.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Small Scale Industries Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960, namely :—

(1) These rules may be called the Small Scale Industries Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule annexed to the Small Scale Industries Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960 :—

(a) against the post of Upper Division Clerk (in all the States), for the existing entry in Column 6, the following entry shall be substituted, namely :—
"18-25 years";

(b) against the post of Lower Division Clerk (in all the States), for the existing entry in column 6, the following entry shall be substituted, namely :—
"18-25 years";

(c) against the post of Stenographer (in all the States), for the existing entry in column 6, the following entry shall be substituted namely :—

"18-25 years";

EXPLANATORY MEMORANDUM

These Recruitment Rules of the Small Scale Industries Organisation (Class III & Class IV posts) of 1960 are being amended in view of the recent orders issued by the Department of Personnel vide their O.M. No. 4/7/70-Estt (D) dated 13th March, 1972 raising the maximum age limit to 25 years in the case of Class III (Ministerial) posts.

[F. No. SSI(III)-A. 12018(1)/73]

H. L. SETH, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 मई, 1973

सा. का. नि. 577.—19 फरवरी, 1972 के "भारत के राजपत्र" भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) के पृष्ठ 528 में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के 15 दिसम्बर, 1971 के जी. एस. आर. 202 की अधिसूचना में नियम 1 के उपनियम 1 में '(तृतीय संशोधन) नियमावली 1971' के स्थान पर 'संशोधन नियमावली 1972' पढ़ा जाए ।

[संख्या ए. 12018/3/70-प्रशासन-1/डी. एस. (1)]

एस. पद्मनाभन, उप-सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19th May, 1973

CORRIGENDUM

G.S.R. 577.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No G.S.R. 202, dated 15th December, 1971, published at page 528 of the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (i) dated the 19th February, 1972, in sub-rule (1) of rule 1, for "(Third Amendment) Rules, 1971" read "(Amendment) Rules, 1972."

[No. A. 12018/3/70-Admn. 1/DS(I)]

S. PADMANABHAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 मई 1973

सा. का. नि. 578.—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार चलचित्र (सेंन्सर) नियम, 1958 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को चलचित्र (सेंन्सर) संशोधन नियम 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चलचित्र (सेन्सर) नियम, 1958 के नियम 10 में.—

(1) उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक में अपर प्रादेशिक आफिसरों और सहायक प्रादेशिक आफिसरों 'शब्दों के स्थान पर' और अपर प्रादेशिक आफिसरों' शब्द प्रति-स्थापित किए जायेंगे ,

(2) उपनियम (2) में 'प्रादेशिक आफिसर' शब्दों के बाद 'अपर प्रादेशिक आफिसर' शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे ।

[सं. 2/59/64-एफ(सी)]

हरजीत सिंह, अवर सचिव ।

New Delhi, the 3rd May, 1973

G.S.R. 578.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952, (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cinematograph (Censorship) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. (1) In the Cinematograph (censorship) Rules, 1958, in rule 10 :—

(1) in the first proviso to sub-rule (1) for the words "Additional Regional Officers and Assistant Regional Officers" the words "and Additional Regional Officers" shall be substituted;

(2) in sub-rule (2), after words "The Regional Officers", the words "the Additional Regional Officers" shall be inserted.

[No. 2/59/64-F(C)]

HARJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 1973

सा. का. नि. 579.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में वर्तमान क्रम संख्या 60 के सम्मुख कालम 12 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रति-स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"आयु :	नहीं
शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं :	नहीं"

[फाइल संख्या 1/6/73-बी(ए)

ए. बी. नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 1973

G.S.R. 579.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964 namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III Posts) Recruitment (Amendment Rules, 1973).

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against Serial No. 60 in column 12, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely :—

"Age : No.

Education and other qualifications : No."

[No. 1/6/73-B(A)]
A. V. NARAYANAN, Under Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1973

अधिसूचना

सा. का. नि. 580.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार विभाग की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1650 तारीख 1 नवम्बर, 1965 के साथ प्रकाशित डाक-तार बोर्ड (सदस्य) भर्ती नियम 1965 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक-तार बोर्ड सदस्य भर्ती (संशोधन) नियम 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक-तार बोर्ड (सदस्य) भर्ती नियम 1965 की अनुसूची में वरिष्ठ सदस्य के पदों से क्रम संख्या 1 और 2 में से प्रत्येक के सामने मद 5 के अधीन "चयनतर" शब्द के स्थान पर "चयन" शब्द रखा जायेगा।

मदनलाल कक्कड़, अवर सचिव
[संख्या ए. 12018(2)/72-प्रशासन]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 21st May, 1973

G.S.R. 580.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Posts and Telegraphs Board (Members) Recruitment Rules, 1965, published with the notification of the Government of India in the Department of Communications No. GSR 1650 dated the 1st November, 1965, namely:—

1. (i) These rules may be called the Post and Telegraphs Board (Members) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Posts and Telegraphs Board (Members) Recruitment Rules, 1965 against each of the serial numbers 1 and 2 relating to the posts of Senior Member, for the word 'Non-Selection' under Column 5, the word 'Selection' shall be substituted.

[No. A. 12018(2)/72-Admn.]
M. L. KAKAR, Under Secy.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1973

सा. का. नि. 581.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सांख्यिकी विभाग के संगणक केन्द्र में प्रथम श्रेणी के पदों की भर्ती-पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:**—(1) ये नियम सांख्यिकी विभाग संगणक केन्द्र (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **प्रवृत्ति:**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से लेकर 4 तक के कालमों में दिए गए हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि:**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से लेकर 13 तक के कालमों में विनिर्दिष्ट हैं। परन्तु किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए उक्त अनुसूची के कालम 6 में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी।

5. **निरर्हताएं:**—

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका कि एक पति/जिसकी कि एक पत्नी जीवित हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो कि पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों में से कुछ भी, इस बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

योजना मंत्रालय, सांख्यिकी विभाग के अन्तर्गत संगणक केन्द्र में संयुक्त निदेशक एवं वरिष्ठ इंजीनियर के पदों के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
1—संयुक्त निदेशक	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी (I) राजपत्रित ।	रुपये 1100-50-1400	चयन पद	45 वर्ष	अनिवार्य .— (i) सांख्यिकी में या गणित में या प्रचालन अनुसंधान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य में (सांख्यिकी या सांख्यिकी प्रशिक्षण के साथ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री जिसमें गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया गया हो, साथ में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा जोकि सांख्यिकी के कम से कम दो वर्ष के स्नात्कोत्तर प्रशिक्षण के बाद प्राप्त किया गया हो, (ii) सांख्यिकी या आंकड़ा विधायन कार्य का लगभग आठ वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम तीन वर्ष का कमप्यूटर सिस्टम डिजाइन या प्रोग्रामिंग का अनुभव सम्मिलित है । (आयोग के निर्णय पर योग्यताओं में छूट दी जा सकती है यदि अभ्यार्थी वैसे अच्छी योग्यता रखता है ।) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की हुई हो । (ii) कमप्यूटर सोफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन में अनुसंधान का साक्ष्य । (iii) कमप्यूटर प्रोग्रामिंग या एच० 400 कमप्यूटर सिस्टम का प्रशिक्षण।

क्या सीधी भर्ती वालो के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हतायें पदोन्नति किये जाने वाले व्यक्तियो के संबंध मे भी लागू होगी ?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती मे या पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किये जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किये जाने है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमे भर्ती करने मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है
8	9	10	11	12	13
1—नही	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर 50 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा जो कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उसी ग्रेड मे तीन वर्ष तक उप-निदेशक के रूप मे सेवा प्रतिनियुक्ति की अवस्था मे **स्थानान्तरण** भारत सरकार मे काम कर रहे अधिकारी जो समान पदो पर नियुक्त हो या भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड दो के अधिकारी या भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड तीन के अधिकार या भारत सरकार के ग्रेड तीन के अधिकारी जो समकक्ष पदो पर कार्य कर रहे हो एवं उसी ग्रेड मे कम से कम तीन वर्ष की सेवा, सीधी भर्ती वाले व्यक्तियो के लिये निर्धारित स्तर का अनुभव, प्रतिनियुक्ति का समय सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नही ।	श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग जैसा चाहे (परामर्श की छूट) विनियमन, 1958

1	2	3	4	5	6	7
2—वरिष्ठ इंजीनियर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी (1) राजपत्रित	रुपये 700-40-1100-50/2-1250	चयन पद	40 वर्ष	**अनिवार्य** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रोनिक्स मे या इलैक्ट्रोनिक्स मे विशिष्ठता के साथ वैद्युत् या दूर संचार इंजीनियरिंग मे डिग्री या समकक्ष योग्यता । (ii) संगणक अनुरक्षण का विशेषतया एच०-400 मोडल का लगभग 5 वर्ष का अनुभव (आयोग के निर्णय पर योग्यताओ मे छूट दी जा सकती है यदि अभ्यर्थी वैसे सुयोग्य हो) । **वांछनीय** इलैक्ट्रोनिक्स सरक्युटरी या सान्द्र अवस्था युक्तियो का ज्ञान एवं अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
2—नही	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति इंजीनियरस कि नियुक्ति के बाद जो कि नियमित आधार पर उसी ग्रेड मे 5 वर्ष की नौकरी	श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग जैसा चाहे परामर्श की छट) विनियम, 1958

[सं. 12018/1/71-स्थापना. 1 (संगणक)]

ह. ल. कोहली, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

(Department of Statistics)

New Delhi, the 7th May, 1973

G.S.R. 581.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class I posts in the Comupter Centre, Department of Statistics, namely :—

1. **Short title and commencement :—**

(1) These rules may be called the Department of Statistics, Comupter Centre (Class I posts) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :—**

These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, Classification and scales of pay :—**

The number of the posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—**

The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule :

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.

5. **Disqualifications :—**

No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post ;

Provided that the Central Government may, is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax :—**

Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings :—**

Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Schedule Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules For The Post Of Joint Director and Senior Engineer In The Computer Centre Under Department Of Statistics

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Joint Director	2	Goneral Central Service Class I Gazetted.	Rs. 1100-50-1400	Selection	45 years	**Essential** (i) Master's degree in Statistics or in Mathematics or Operational Research or Economics or Commerce (with Statistics or Training in Statistics) from a recognised University for equivalent. OR Degree of a recognised University with Maths. or Statistics or Economics as a subject plus a recognised Diploma obtained after at least 2 years post graduate training in Statistics. (ii) About 8 years experience of Statistics or Data Processing work including at least 3 years experience of computer systems design or programming. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.) **Desirable** (i) Doctorate in Statistics or Mathematics or Economics of a recognised University. (ii) Evidence of Research in Computer software systems design. (iii) Training in Computer Programming or H-400 Computer Systems.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation 50% and by direct recruitment 50%.	**Promotion :** Deputy Directors with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on deputation :** Officers holding analogous posts under the Central Govt. or grade II officers of the Indian Economic Service or Indian Statistical Service or Grade III officers of the Indian Economics Service/Indian Statistical Service or officers under the Central Govt. holding posts equivalent to the said Grade III with at least 3 years service in the grade, having experience prescribed for direct recruits. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
Senior Engineer	1	General Central service class 1 Gazetted.	Rs. 700-40-1100 50/2-1250.	Selection	40 years	**Essential :** (i) Degree in Electronics or Electrical or Telecommunication engineering with specialisation in electronics from a recognised University or equivalent. (ii) About 5 years experience of computer maintenance preferably H-400 model. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable :** Knowledge or experience of electronics circuitory or solid state devices.

8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion, failing which, by direct recruitment.	**Promotion :** Engineers with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation, Regulations, 1958.

[No. 12018/1/71-Estt. I(Com.)]

H. L. KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 मई, 1973

सा. का. नि. 582.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग में अपर सलाहकार (उद्योग और खनिज) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**—(1) इन नियमों का नाम योजना आयोग अपर सलाहकार (उद्योग और खनिज) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं:**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं:**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

योजना आयोग में अपर सलाहकार (उद्योग और खनिज) के पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अपर सलाहकार (उद्योग खनिज)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1, राजपत्रित	2250 रु० (स्थिर)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति द्वारा, चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायेगा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : **(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति** ऐसे अधिकारी, जिनकी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में 1300-1850 रु० के वेतनमान या समतुल्य में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो और जिन्हें औद्योगिक योजना और विकास से संबंधित विषयों का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो । योजना आयोग के मण्डलों के उन प्रधानों के संबंध में भी विचार किया जायेगा जिनकी उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा हो और जिन्हें औद्योगिक योजना आयोग और विकास का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो । यदि कोई किसी प्रधान को इस पद पर नियुक्ति के लिये चुन लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा । (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि-सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक)	लागू नहीं होता ।	स्तम्भ 10 के उपबन्धों के साथ पठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथापेक्षित ।

[एफ. सं. 12018/7/71-प्रशा. 1]

एन. के. अग्रवाल, अवर सचिव.

New Delhi, the 16th May, 1973

G.S.R. 582.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Adviser (Industries and Minerals) in the Planning Commission, namely :—

1. **Short title and commencement :** (1) These rules may be called the Planning Commission Additional Adviser (Industries and Minerals) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay :** The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications :** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications :** No. person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax :** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Additional Adviser (Industries and Minerals), Planning Commission

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.
1	2	3	4	5	6	7	8
Additional Adviser (Industries & Minerals)	1	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 22-50/- (fixed)	Not Applicable	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by the various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13
Two years	By transfer on deputation (including short-term contract) or promotion, the selection being made in consultation with the Union Public Service Commission.	**Transfer on deputation (including short-term contract) or promotion.** Officers with a minimum of 5 years service in the scale of Rs. 1300-1800 or equivalent from the Central Government or State Governments or Reserve Bank of India or State Bank of India or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings, having adequate knowledge or experience of matters pertaining to industrial planning and development. Chiefs of Divisions of the Planning Commission with 3 years service in the grade and having adequate knowledge and experience of industrial planning and development will also be considered. If a Chief is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion. (Period of deputation or contract—ordinarily not exceeding 5 years.)	Not Applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958, read with the provisions in Column 10.

[F. No. A. 12018/7/71-ADM.I]
N. K. AGGARWAL, Under Secy.

नौवाहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली, 16 मई, 1973

सा. का. नि. 583.—यतः ग्रेटर मुम्बई नगर निगम मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड के लिए दो न्यासियों का निर्वाचन मुम्बई पत्तन न्यास अधिनियम, 1879 (1879 का मुम्बई अधिनियम 6) की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहा था ।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 13 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) की अधिसूचना सं. 8-पी. जी. ए.-(35)/73, तारीख 4 अप्रैल, 1973 द्वारा यह निदेश दिया था कि निर्वाचन 31 मई, 1973 को या उसके पूर्व किया जाएगा ।

और यतः ग्रेटर मुम्बई नगर निगम ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में, (1) श्री जयंती लाल गम्भीरदास पारेख और (2) श्री राजेश्वर वामन रागिनवाड़ को मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में 31 मई, 1973 के पूर्व निर्वाचित किया है ।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सर्वश्री जयंतीलाल गम्भीरदास पारेख और राजेश्वर वामन रागिनवाड़ के मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासीयों के रूप में निर्वाचन को अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. 8-पी. जी. ए. (175)/72-2]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 16th May, 1973

G.S.R. 583.—Whereas the Municipal Corporation of Greater Bombay had failed to elect two Trustees to the Board of Trustees for the Port of Bombay within the period specified in section 10 of the Bombay Port Trust Act, 1879 (Bombay Act 6 of 1879);

And whereas the Central Government had in pursuance of the powers conferred by sub-section (2) of section 13A of the said Act directed that the election shall be held on or before the 31st May, 1973, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping & Transport (Transport Wing) No. 8-PGA-(35)/73, dated the 4th April, 1973;

And whereas the Municipal Corporation of Greater Bombay, in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act elected (1) Shri Jayantilal Gambhirdas Parekh and (2) Shri Rajeshwar Waman Raginwar as the Trustees to represent them on the Board of Trustees for the Port of Bombay, before the 31st May, 1973;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby notifies the election of Sarvashri Jayantilal Gambhirdas Parekh and Rajeshwar Waman Raginwar as Trustees on the Board of Trustees for the Port of Bombay.

[F. No. 8-PGA(175)/72-II]

नई दिल्ली, 22 मई, 1973

सा. का. नि. 584.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि मोरमगोआ नगरपालिका परिषद्, उक्त अधिनियम की धारा 3

की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन मोरमगोआ पत्तन के लिए न्यासियों के बोर्ड में प्रतिनिधि न्यासी का निर्वाचन उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) में उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में अपने नियंत्रणातीत कारणों से असफल रही है, यह निदेश देती है कि निर्वाचन 21 जून, 1973 को या उसके पूर्व होगा ।

[सं. 7 पी. जी. ए.(46)/72]

के. एल. गुप्ता, उप सचिव

New Delhi, the 22nd May, 1973

G.S.R. 584.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government, having been satisfied that the Mormagoa Municipal Council have failed for reasons beyond their control to elect a representative Trustee on the Board of Trustees for the Port of Mormugao under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the said Act within the period specified therefor in sub-section (3) of section 10 of the said Act, hereby directs that the election shall be held on or before the 21st June, 1973.

[No. 7-PGA(46)/72]
K. L. GUPTA, Dy. Secy

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 585.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) में वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) वरिष्ठ विश्लेषक भर्ती नियम, 1973 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को व व्यक्तियों के वर्ग या प्रवर्ग की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) में वरिष्ठ विश्लेषक के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य मापन अध्ययन)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग I राजपत्रित अननुसचिवीय	700-40-1100 50/2-1250 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियां द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	(क) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण अथवा (ख) संविदा पर नियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति/संविदा पर स्थानान्तरण** केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन अथवा पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के अधीन कम से कम 350—900 रु० प्रति मास वेतन पाने वाले प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी जिनके पास :— (1) किसी विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समतुल्य डिग्री हो । (2) राजपत्रित पद पर अथवा सरकारी उपक्रम में समतुल्य पद पर कम से कम 8 वर्ष की सेवा की हो । (3) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, प्रतिरक्षा कार्यमापन अध्ययन संस्थान का वर्क स्टडी प्रैक्टिस्नर्स कोर्स का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है अथवा किसी अन्य संस्थान में समतुल्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । अथवा कार्य मापन अध्ययन अथवा संगठन और पद्धति अथवा विश्लेषणात्मक अथवा सांख्यकीय कार्य प्रणाली अनुसंधान कार्य तथा अन्य प्रबन्ध अनुसन्धान तकनीकी कार्य मे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि मामूली तौर पर 6 वर्ष से अनधिक)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

[फा० सं० 2(21)/72-प्रशासन (1)]

चरंजीत लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 10th April, 1973

G.S.R. 585.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Analyst in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel) Senior Analyst Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications** :—No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and, there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Senior Analyst in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)

Name of Post	No of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Senior Analyst (Work Study)	1	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 700-40-1100-50-2-1250.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recrtt, whether by direct or recrtt or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recrtt by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	(a) By transfer on deputation or (b) By appointment on contract.	**Transfer on deputation of appointment on contract :** Officers from any Class I or Class II (Gazetted) post in the scale not lower than Rs. 350—900 under the Central Government or the State Government or equivalent grade in public sector undertakings, who have :— (i) a University degree or its equivalent. (ii) a minimum of 8 years' service in a gazetted post or equivalent grade in public sector undertakings; and (iii) successfully completed training in the Work Study Practitioners Course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other institution. Or At least 3 years' experience in the application of work study or organisation and methods or analytical or statistical or operations, research and other management research techniques. (Period of deputation or contract ordinarily not exceeding 6 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[F. No. 2(21)/72-Admn. I]
CHARANJIT LAL, Under Secy.

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1973

सा. का. नि. 586.—कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 158(ई), तारीख 6 मार्च, 1973 के आंशिक उपांतरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में मद "नजिरा कोलफील्ड" और उसके अधीन क्रम संख्या 10 और 11 के समक्ष की प्रविष्टियों को छोड़ दिया जाएगा

[सं का. 2-100(1)/73]
पी. के. लाहिरी, निदेशक

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 26th May, 1973

G.S.R. 586.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 (15 of 1973), and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. G.S.R. 158(E), dated the 6th March, 1973, the Central Government hereby directs that in the Table below the said notification, the item "Nazira Coalfield" and the entries against serial numbers 10 and 11 thereunder shall be omitted.

[No. CII-100(1)/73]
P. K. LAHIRI, Director

पर्यटन और सागर विमानन मंत्रालय

(रेल सुरक्षा आयोग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 587.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—(1) इन नियमों का नाम रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा गंभीर दुर्घटना की जांच.**—(1) (क) जब कभी रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त को, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 83 के अधीन, किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने की सूचना मिले, जिसे वह इतनी गम्भीर समझता हो कि उसकी जांच करना उचित हो, तो वह, यथासम्भव शीघ्र, रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान और रेलवे बोर्ड को जांच करने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा और उसी समय जांच की तारीख, समय व स्थान नियत करके उसकी भी सूचना देगा। इस सम्बन्ध में वह एक प्रेस नोट भी जारी करेगा या कराएगा जिसमें जांच में साक्ष्य देने या दुर्घटना के सम्बन्ध में, अपने कार्यालय के पते पर, सूचना भेजने के लिये जनसाधारण को आमंत्रित किया जाएगा।

(ख) रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त जांच करने का अपना अभिप्राय पूर्वोक्त रूप में अधिसूचित करते समय सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भी सूचित करेगा।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिये यात्री ले जाने वाली गाड़ी के साथ घटित हर दुर्घटना, जिसमें जनहानि हुई हो, या जिस गाड़ी में किसी यात्री या यात्रियों को, भारतीय दंड संहिता में दी हुई परिभाषा के अनुसार गहरी चोट आयी हो, या जिसमें रेल सम्पत्ति को एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो, या कोई अन्य दुर्घटना, जिसकी रेल सुरक्षा के आयुक्त या रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त की राय में जांच करना अपेक्षित हो, ऐसी गम्भीर किस्म की दुर्घटना समझी जायेगी जिसकी जांच करना अपेक्षित है।

(3) जहां रेल सुरक्षा का आयुक्त किसी दुर्घटना की जांच करना आवश्यक समझे, वहां वह या तो स्वयं जांच कर सकेगा या रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त को ऐसा करने का निर्देश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के अधीन जांच केवल उन मामलों में अनिवार्य होगी, जिनमें मृत या गम्भीर रूप से घायल यात्री गाड़ी में सफर कर रहे थे। यदि कोई व्यक्ति किसी यात्री गाड़ी के पायदान या छत पर सफर करते हुए मर जाता है या गम्भीर रूप से घायल हो जाता है, अथवा यदि कोई व्यक्ति समपार या रेल पथ पर या कहीं और गाड़ी के नीचे आ जाता है तो इस नियम के अधीन जांच अनिवार्य नहीं होगी। इसी तरह यदि समपार पर सड़क-वाहन और सवारी गाड़ी के बीच टक्कर में कोई भी रेल-यात्री न मरे या गम्भीर रूप से घायल न हो, तो जांच करना अनिवार्य नहीं होगा। इस नियम के प्रयोजन के लिए कर्मकारों को ले जाने वाली कर्मकार गाड़ियां या गिट्टी गाड़ियां भी यात्री गाड़ी समझी जायेंगी और उस गाड़ी में दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी कर्मकार की मृत्यु या उसके गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, इस नियम के अधीन जांच करना अनिवार्य होगा।

(4) जब ऐसी दुर्घटना, जिसमें जांच करना अपेक्षित हो, किसी ऐसे स्टेशन पर घटित हो, जो दो या दो से अधिक रेल सुरक्षा के अपर आयुक्तों के क्षेत्राधिकार में आता है, तो इस नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व रेल सुरक्षा के उस अपर आयुक्त का होगा जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त स्टेशन का संचालन करने वाली रेलवे पड़ती है।

(5) (क) यदि किसी कारणवश रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने के बाद दुर्घटना की शीघ्र जांच करने में असमर्थ हो, तो वह सम्बन्धित रेलवे प्रशासन के प्रधान और रेलवे बोर्ड को तदनुसार सूचित करेगा। और वह रेल सुरक्षा के आयुक्त को यह सूचित करेगा कि किस कारण से उसने जांच नहीं की है।

(ख) रेल (दुर्घटना की जांच की सूचना) नियम, 1973 के नियम 15 के अनुसार, रेलवे प्रशासन के प्रधान से संयुक्त जांच (रेलवे अफिसरों की समिति द्वारा की गई जांच) की कार्यवाही के मिलने पर, रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त उसकी संवीक्षा करेंगे और यदि वह संयुक्त जांच के निष्कर्ष से सहमत हैं तो वह रिपोर्ट की एक प्रति रेल सुरक्षा आयुक्त को निष्कर्ष के बारे में अपने विचार और सिफारिशों सहित अग्रेषित करेगा। यदि दूसरी ओर, संयुक्त जांच की कार्यवाही पर विचार कर लेने के बाद, रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त समझता है कि स्वयं उसके द्वारा जांच की जानी चाहिए,

तो वह यथा संभव शीघ्र रेल सुरक्षा के आयुक्त, सम्बन्धित रेल प्रशासन के प्रधान और रेलवे बोर्ड को जांच करने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा और उसी समय जांच की तारीख, समय और स्थान नियत करके उसकी भी सूचना देगा ।

(6) (क) यदि दुर्घटना की किस्म को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन, दुर्घटना की जांच करने के लिये किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या जांच के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो, और इसके प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम के सभी अथवा कोई उपबन्ध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिये हों, तो रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त, जिसे दुर्घटना की सूचना दे दी गयी है, अपनी ओर से जांच नहीं करेगा और यदि उसने जांच पहले ही आरम्भ कर दी हो, तो उसे और आगे नहीं बढ़ायेगा, तथा जांच से सम्बन्धित साक्ष्य, अभिलेख या अन्य दस्तावेज जो उसके कब्जे में हो, ऐसे प्राधिकारी के सुपुर्द करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(ख) यदि, पुलिस अन्वेषण के परिणामस्वरूप, पुलिस द्वारा दण्ड न्यायालय में नियमित मुकदमा चलाया जाता है, तो रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त अपनी जांच बंद कर देगा ।

3. **रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त संक्षिप्त प्रारम्भिक वर्णनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.**—यदि रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त ने नियम 2 के उप-नियम (2) में वर्णित दुर्घटनाओं में से किसी दुर्घटना की जांच की हो, तो वह संक्षिप्त प्रारम्भिक वर्णनात्मक रिपोर्ट रेल सुरक्षा के आयुक्त तथा रेलवे बोर्ड को एक साथ प्रस्तुत करेगा । यह रिपोर्ट तथ्यात्मक होगी और इसमें अलिप्त व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा ।

4. **रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.**—जब कभी रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त ने नियम 2 के अधीन जांच की हो, तो वह रेल सुरक्षा के आयुक्त को लिखित रिपोर्ट पेश करेगा और रिपोर्ट की एक-एक प्रति—

(1) रेलवे बोर्ड को;

(2) सम्बन्धित रेल प्रशासन को;

(3) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन के नियंत्रणाधीन रेलवे के मामले में ऐसी सरकार अथवा प्रशासन को;

(4) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही हो, तो जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को; और

(5) यदि रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुर्घटना तोड़-फोड़ की कार्रवाई या गाड़ी गिराने के कारण हुई है, तो निदेशक, खुफिया ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजेगा ।

5. **रिपोर्टों का प्रकाशन.**—रिपोर्टों के प्रकाशन की सिफारिश रेल सुरक्षा के आयुक्त द्वारा सरकार को की जायेगी ।

6. **जिला मजिस्ट्रेट या उसका प्रतिनिधि रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा की जा रही जांच में हाजिर रहेगा.**—जहां रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जांच) नियम, 1973 के नियम 17 के खण्ड (क) या (ख) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच न की जा रही हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट, यथासम्भव रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा की गई जांच में स्वयं हाजिर रहेगा या ऐसी जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्ति करेगा ।

7. **जिला पुलिस अधीक्षक या उसका प्रतिनिधि.**—जिला पुलिस अधीक्षक, रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा की गई जांच में यथा-सम्भव स्वयं हाजिर रहेगा या ऐसी जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा ।

8. **तकनीकी मामलों को स्पष्ट करने में रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त मजिस्ट्रेट अथवा जांच आयोग आदि की सहायता करेगा.**—रेल सुरक्षा का अपर आयुक्त, जब कभी उसे किन्हीं तकनीकी मामलों के स्पष्टीकरण में सहायता देने को कहा जाये, न्यायिक जांच या रेल (दुर्घटना की जांच की सूचना) नियम, 1973 के नियम 17 के अधीन जांच करने वाले मजिस्ट्रेट या जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य प्राधिकारी की, जिस पर उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध लागू किये गये हों, यथासंभव सहायता करेगा ।

9. **रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त की शक्तियां.**—नियम 2 के उप-नियम (6) में उपबन्धित सीमा के सिवाय, इन नियमों को कोई भी बात, रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त (निरीक्षक) को भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेंगी ।

10. **निरसन और व्यावृत्ति.**—(1) रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जांच) नियम, 1966, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. 59-टी. टी. वी./42/1, तारीख 11 अप्रैल, 1966 के साथ प्रकाशित हुए थे, जहां तक उनका सम्बन्ध रेल दुर्घटनाओं के कानूनी अन्वेषण से है, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, एतद्द्वारा निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई काम या कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी ।

[सं. आर. एस. गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 19th April, 1973

G.S.R. 587.—In exercise of the powers conferred by section 84 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1)(a) **Inquiry into a serious accident by the Additional Commissioner of Railway Safety.**—Where the Additional Commissioner of Railway Safety receives notices under section 83 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), of the occurrence of an accident which he considers of a sufficiently serious nature to justify such a course, he shall, as soon as may be, notify the Commissioner of Railway Safety, the Railway Board and the Head of the Railway Administration concerned of his intention to hold an inquiry and shall, at the same time, fix and communicate the date, time and place for the inquiry. He shall also issue or cause to be issued a Press Note in this behalf inviting the public to tender evidence at the inquiry and send information relating to the accident to his office address.

(b) While notifying his intention to hold an inquiry as aforesaid, the Additional Commissioner of Railway Safety shall also inform the District Magistrate and the Superintendent of Police of the district concerned.

(2) For the purpose of this rule, every accident to a train carrying passengers which is attended with loss of human life, or with grievous hurt as defined in the Indian Penal Code to a passenger or passengers in the train or with serious damage to railway property of the value exceeding one lakh rupees and any other accident which in the opinion of the Commissioner of Railway Safety or the Additional Commissioner of Railway Safety requires the holding of an inquiry shall be deemed to be an accident of such a serious nature as to require the holding of an inquiry.

(3) Where the Commissioner of Railway Safety considers the holding of an inquiry into an accident necessary, he may either hold the inquiry himself or direct the Additional Commissioner of Railway Safety to do so.

Explanation.—The inquiry under this rule shall be obligatory only in those cases where the passengers killed or grievously hurt were travelling in the train. If a person travelling on the foot-board or roof of a passenger train is killed or grievously hurt or if a person is run over at a level crossing or elsewhere on the railway track, an inquiry under this rule shall not be obligatory. Similarly, if in a collision between a road vehicle and a passenger train at a level-crossing, no passenger in the train is killed or grievously hurt, it shall not be obligatory to hold an inquiry. For the purpose of this rule, workmen's trains or ballast trains carrying workmen shall also be treated as passenger trains and in the event of a workman being killed or grievously hurt as a result of an accident to the train, an inquiry under this rule shall be obligatory.

(4) When an accident requiring the holding of an inquiry occurs at a station where the jurisdictions of two or more Additional Commissioners of Railway Safety meet, the duty of complying with this rule shall devolve on the Additional Commissioner of Railway Safety within whose jurisdiction the railway working such station lies.

(5) (a) If, for any reason, the Additional Commissioner of Railway Safety is unable to hold an inquiry at an early date after the occurrence of such an accident, he shall inform the Head of the Railway Administration concerned and the Railway Board accordingly and he shall also inform the Commissioner of Railway Safety of the reasons why an inquiry has not been held by himself.

(b) On receipt of the proceedings of the joint inquiry (inquiry made by a Committee of railway officers) from the Head of the Railway Administration in accordance with rule 15 of Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1973, the Additional Commissioner of Railway Safety shall scrutinise the same and in case he agrees with the findings of the joint inquiry, shall forward a copy of the report to the Commissioner of Railway Safety along with his views on the findings and recommendations made If, on the other hand, the Additional Commissioner of Railway Safety, after examination of the joint inquiry proceedings, considers that an inquiry should be held by himself, he shall, as soon as possible, notify the Commissioner of Railway Safety, the Railway Board and the head of the Administration concerned, of his intention to hold an inquiry and he shall at the same time fix and communicate the date, time and place for the inquiry.

6(a) Where, having regard to the nature of the accident, the Central Government has appointed a Commission of Inquiry to inquire into the accident under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or has appointed any other authority to inquire into it and for that purpose has made all or any of the provisions of the said Act applicable to that authority, the Additional Commissioner of Railway Safety to whom notice of the accident has been given shall not hold his inquiry and where he has already commenced his inquiry he shall not proceed further with it, and shall hand over the evidence, records or other documents in his possession relating to the inquiry to such authority as may be specified by the Central Government in this behalf.

(b) If, as a result of the police investigation a regular case is lodged in a criminal court by the police, the Additional Commissioner of Railway Safety shall discontinue his inquiry.

3. **Additional Commissioner of Railway Safety to submit a brief preliminary narrative report.**—Where the Additional Commissioner of Railway Safety has held an inquiry in respect of any of the accidents described in sub-rule (2) of rule 2, he shall submit a brief preliminary narrative report to the Commissioner of Railway Safety and the Railway Board simultaneously. The report shall be factual and shall not contain any reference to persons implicated.

4. **Additional Commissioner of Railway Safety to submit a report.**—Whenever the Additional Commissioner of Railway Safety has made an inquiry under rule 2, he shall submit a report in writing to the Commissioner of Railway Safety and shall forward a copy of the report each to—

(i) the Railway Board;

(ii) the railway administration concerned;

(iii) In the case of a railway under the control of a State Government or Local Administration to such Government or administration also;

(iv) the Magistrate making the inquiry if a magisterial inquiry is being made; and

(v) the Director, Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, if the Additional Commissioner of Railway Safety finds that the accident was caused by sabotage or train wrecking.

5. **Publication of reports.**—Recommendations in regard to the publication of reports shall be made by the Commissioner of Railway Safety to the Central Government.

6. **District Magistrate or his representative to attend the inquiry conducted by Additional Commissioner of Railway Safety.**—Where no Magisterial inquiry is being made under clause (a) or (b) of rule 17 of the Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1973, the District Magistrate shall, as far as possible, attend the inquiry conducted by the Additional Commissioner of Railway Safety personally, or depute some other officer to represent him at the inquiry.

7. **District Superintendent of Police or his representative.**—The District Superintendent of Police shall, as far as possible also attend the inquiry conducted by the Additional Commissioner of Railway Safety personally, or depute some other officer to represent him at the inquiry.

8. **Additional Commissioner of Railway Safety to assist the Magistrate of the Commission or Inquiry etc. in clarifying technical matters.**—The Additional Commissioner of Railway Safety shall, as far as possible, assist any Magistrate making a judicial inquiry or an inquiry under rule 17 of Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1973, or a Commission of Inquiry appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952, (60 of 1952), or any other authority appointed by the Central Government to which all or any of the provisions of the said Act have been made applicable, whenever he may be called upon to do so for the purpose of clarification of any technical matters.

9. **Powers of the Additional Commissioners of Railway Safety.**—Nothing in these rules shall, except to the extent provided in sub-rule (6) of rule 2, be deemed to limit or otherwise effect the exercise of any of the powers conferred on Additional Commissioner of Railway Safety (Inspector) by section 5 of the Indian Railways Act, 1890.

10. **Repeal and Saving.**—(1)The Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1966, published with notification of Government of India in the Ministry of Railways No. 59-TTV/42/71 dated 11-4-66, in so far as they relate to the Statutory Investigation into railway aaccidents, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the rules hereby repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

[No. RS. 13-T(8)/71]

A. R. GOEL, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 मई, 1973

सा. का. नि. 588.—केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा वर्ग 1 भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 के संबंध में भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(1), तारीख 23 सितम्बर, 1972 के पृष्ठ 2706-2707 पर प्रकाशित भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय (निर्माण प्रभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1145, तारीख 17 अगस्त, 1972 में,—

(1) पैरा 2 के खण्ड (घ) में, "भाग 6" के स्थान पर "भाग 7" पढ़ें;

(2) पैरा 3 में,—

(क) जहां कहीं दो स्थानों पर "भाग 6" आया हो, उसके स्थान पर "भाग 7" पढ़ें;

(ख) "भाग 5" के स्थान पर "भाग 6" पढ़ें;

(ग) "25" के स्थान पर "26" पढ़ें ।

[सं. 22011 (3)/71-ई. डब्ल्यू. आई.]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 18th May, 1973

CORRIGENDUM

G.S.R. 588.—In the notification of Government of India in the Ministry of Works and Housing (Works Division) No. G.S.R. 1145 dated the 17th August, 1972 published on page 2706 in section 3(i), Part II of the Gazette of India dated the 23rd September, 1972 relating to the Central Engineering Service Class I Recruitment (Amendment) Rules, 1972,—

(i) in paragraph 2, clause (d), **for** "Part VI", **read** "Part VII";

(ii) in paragraph 3,—

(a) **for** "Part VI," where it occurs at two places, **read** "Part VII";

(b) **for** "Part V" **read** "Part VI";

(c) **for** "25", **read** "26".

[No. 22011(3)/71-EWI]

शुद्धि पत्र

सा. का. नि. 589.—केन्द्रीय बिजली इंजीनियरी सेवा वर्ग 1 भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 के सम्बन्ध में भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3(1), तारीख 23 सितम्बर, 1972 के पृष्ठ 2707 पर प्रकाशित भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय (निर्माण प्रभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1146, तारीख 17 अगस्त, 1972 में—:

(1) पैरा 2 के खण्ड (घ) में, "भाग 6" के स्थान पर "भाग 7" पढ़ें,

(2) पैरा 3 में,—

(क) जहां कहीं दो स्थानों पर "भाग 6" आया हो, उसके स्थान पर "भाग 7" पढ़ें;

(ख) "भाग 5" के स्थान पर "भाग 6" पढ़ें,

(ग) "25" के स्थान पर "26" पढ़ें ।

[सं. 22011(3)/71-ई डब्ल्यू. आई.]
पी. बी. कुलकर्णी, अवर सचिव.

G.S.R. 589.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing (Works Division) No. G.S.R. 1146, dated the 17th August, 1972 published on page 2707 in section 3(i), Part II of the Gazette of India dated the 23rd September, 1972 relating to the Central Electrical Engineering Service Class I Recruitment (Amendment) Rules, 1972.—

(i) in paragraph 2, clause (d), **for** "Part VI", **read** "Part VII";

(ii) in paragraph 3.—

(a) **for** "Part VI", where it occurs at two places, **read** "Part VII";

(b) **for** "Part V" **read** "Part VI";

(c) **for** "25" **read** "26".

[No 22011(3)/71-EWI]
P. B. KULKARNI, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

सा. का. नि. 590.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 में, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्—:

1-(1) इस स्कीम का नाम कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 1973 है ।

(2) यह 1971 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2- कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 में—

(1) पैरा 6 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् ,—

"परन्तुक जहां किसी स्थापन के बन्द होने, हड़ताल, तालाबंदी, बिना वेतन छुट्टी, छंटनी, त्यागपत्र, पर्यवसान सेवोन्मुक्ति के कारण या किसी ऐसे अन्य कारण से कुटुम्ब पेंशन निधि की सदस्यता भंग हो जाती है और या तो उसी स्थापन के अन्तर्गत या अधिनियम के अधीन आने वाले भिन्न स्थापनों के अन्तर्गत गणनीय सेवा के दो दौरों के बीच के ऐसे भंगी की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होती है वहां ऐसा सदस्य यदि उसने वह प्रसुविधा जिसके लिए वह इस स्कीम के अधीन हकदार है और यथास्थिति, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 या किसी छूट प्राप्त स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन अपनी भविष्य निधि संचयन वापस नहीं लिया है तो कुटुम्ब पेंशन स्कीम का सदस्य बना रहेगा :

"परन्तु यह और कि ऐसे भंग, जिनके दौरान कुटुम्ब पेंशन निधि में कोई अभिदाय संदेय नहीं हैं, कुल गणनीय सेवा से पैरा 34क के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में निकाल दिए जाएंगे" ।

(2) पैरा 29 के उपपैरा (2) में "कुटुम्ब पेंशन निधि के सदस्यों या उसके कुटुम्ब के व्यक्तियों" शब्दों के स्थान पर "कुटुम्ब पेंशन निधि के किसी सदस्य या उसके कुटुम्ब के व्यक्तियों या उसके भविष्य निधि संचयन की प्राप्ति करने के हकदार व्यक्तियों" शब्द रखे जाएंगे :

(3) पैरा 28 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) जहां कोई ऐसा सदस्य, जो पैरा 6 के परन्तुक के आधार पर कुटुम्ब पेंशन निधि की सदस्यता बनाए रखता है, गणनीय सेवा की अवधि के दौरान मर जाता है, वहां सदस्य कुटुम्ब पेंशन की संगणना पैरा 34क के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से निकाली गई प्रविष्टि की काल्पनिक आयु को प्रवेश की आयु के रूप में मानकर की जाएगी ।" ,

(4) पैरा 31 में,

(क) 'संदेय होगी' शब्दों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात:—

"और जहां किसी सदस्य ने कुटुम्ब नहीं छोड़ा है वहां जीवन बीमा प्रसुविधा उसके भविष्य निधि संचयन को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अनुपात में संदेय होगी जिसमें उक्त संचयन, यथास्थिति कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 या छूट प्राप्त स्थापनों को लागू भविष्य निधि नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय हों" ;

(ख) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थात् :—

"परन्तु यथा ऊपर कथित जीवन बीमा प्रसुविधा, ऐसे प्रवेशकों की बाबत संदेय होगी जिन्होंने इस स्कीम में 25 या उससे कम की आयु पर प्रवेश किया था :

परन्तु यह और कि जहां कोई ऐसा सदस्य जो पैरा 6 के परन्तुक के आधार पर कुटुम्ब पेंशन निधि की सदस्यता बनाए रखता है, गणनीय सेवा की अवधि के दौरान मर जाता है वहां संदेय जीवन बीमा प्रसुविधा की संगणना पैरा 34क के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से निकाली गई प्रविष्टि की काल्पनिक आयु को प्रवेश की आयु के रूप में मानकर की जाएगी" ;

(5) पैरा 31क में, "हकदार होता" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और जहां किसी सदस्य ने कुटुम्ब नहीं छोड़ा है वहां रकम, उसके भविष्य निधि संचयन को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अनुपात में संदेय होगी जिसमें उक्त संचयन, यथास्थिति, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 या छूट प्राप्त स्थापन को लागू भविष्य निधि नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय हों ।" :

(6) पैरा 32 के उपपैरा (2) में "हकदार होता" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"और जहां किसी सदस्य ने कुटुम्ब नहीं छोड़ा है, वहां संचय निवृत्ति प्रसुविधा उसके भविष्य निधि संचयन को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अनुपात में संदेय होगी जिसमें उक्त संचयन, यथास्थिति कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 या छूट प्राप्त स्थापनों को लागू भविष्य निधि नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय हो ।"

(7) पैरा 32 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां कोई सदस्य पैरा 6 के परन्तुक के आधार पर कुटुम्ब पेंशन निधि की सदस्यता बनाए रखता है, गणनीय सेवा की अवधि के दौरान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, वहां संदेय सेवा निवृत्ति प्रसुविधा की संगणना पैरा 34क के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से निकाली गई प्रविष्टि की काल्पनिक आयु को प्रवेश की आयु के रूप में मानकर की जाएगी ।",

(8) पैरा 33 को उसके उपपैरा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित पैरा के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरे अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्—

"(2) जहां कुटुम्ब पेंशन निधि का कोई सदस्य, जिस कोई रकम उपपैरा (1) के अधीन संदेय हो गई हो, रकम उसे वस्तुतः संदत्त किए जाने के पूर्व ही मर जाता है वहां उपपैरा (1) के अधीन संदेय रकम उसके कुटुम्ब के ऐसे सदस्य को संदेय होगी, जो पैरा 29 के अधीन कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता और जहां सदस्य ने कुटुम्ब नहीं छोड़ा है वहां वह रकम उसके भविष्य निधि संचयन को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अनुपात में संदेय होगी जिसमें उक्त संचयन, यथास्थिति, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 या छूट प्राप्त स्थापनों को लागू भविष्य निधि नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय हों ।"

(3) जहां कोई सदस्य, पैरा 6 के परन्तुक के आधार पर कुटुम्ब पेंशन निधि की सदस्यता बनाए रखता है, कुटुम्ब पेंशन निधि की सदस्यता में किसी भंग की अवधि के दौरान मर जाता है या वापसी प्रसुविधा के लिए आवेदन करता है वहां संदेय वापसी प्रसुविधा की संगणना पैरा 34क के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से निकाली गई प्रविष्टि की काल्पनिक आयु को प्रवेश की आयु के रूप में मान कर की जाएगी ।" ,

(9) पैरा 34 को उसके उपपैरा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्—

"(2) पैरा 28 के उपपैरा (3), पैरा, 31 के द्वितीय परन्तुक पैरा 32 के उपपैरा (3) और पैरा 33 के उपपैरा (3) द्वारा शासित मामलों पर सारणी 2 में दिया गया गुणक लागू करने के प्रयोजनों के लिए पैरा 34क के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट

रीति से अवधारित प्रविष्टि की काल्पनिक आयु को इस स्कीम की अनुसूची की सारणी 2 में दी गई प्रविष्टि में आयु के रूप में समझा जाएगा ;

(10) पैरा 34क को पैरा 34ग के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित पैरा से पहले निम्नलिखित पैरे अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"34क. कतिपय मामलों में कुटुम्ब पेंशन और अन्य प्रसुविधाओं का संदाय :

(1) जहां कुटुम्ब पेंशन निधि का कोई सदस्य, जिसकी सदस्यता पैरा 6 के परन्तुक के अधीन रख ली गई है, गणनीय सेवा की समाप्ति के पश्चात मर जाता है वहां ऐसे सदस्य की बाबत कुटुम्ब पेंशन और जीवन बीमा प्रसुविधा संदेय नहीं होंगी, किन्तु केवल वापसी प्रसुविधा उसके ऐसे कुटुम्ब को, जो पैरा 29 के अधीन कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता, संदेय होगी और जहां सदस्य ने कुटुम्ब नहीं छोड़ा है, वहां प्रसुविधा उसके भविष्य निधि संचयन को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अनुपात में संदेय होगी जिसमें उक्त संचयन, यथास्थिति, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 या छूट प्राप्त स्थापनों को लागू भविष्य निधि नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय हों।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय वापसी प्रसुविधा और पैरा 28 के उपपैरा (3), पैरा 31 द्वितीय परन्तुक, पैरा 32 के उपपैरा (5) और पैरा 33 के उपपैरा (3) के अधीन संदेय अन्य प्रसुविधाओं की संगणना करने के प्रयोजन के लिए प्रविष्टि की काल्पनिक आयु, सदस्यता की समाप्ति की आयु से कुल गणनीय सेवा को घटा कर निकाली जाएगी और प्रसुविधा का काल्पनिक आयु को प्रदेश की आयु मानकर अवधारित की जाएगी।

34ख : प्रसुविधाओं का एक साथ संदाय :

क्रमशः पैरा 32 और 33 के अधीन संदेय सेवा निवृत्ति प्रसुविधा और वापसी प्रसुविधा, यथास्थिति, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 या छूट प्राप्त स्थापन को लागू भविष्य निधि नियमों के अधीन सदस्य के भविष्य निधि संचयन के संदाय के साथ-साथ संदत्त की जाएगी।",

(11) अनुसूची की सारणी 1 में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रारम्भ में अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"18	0.20
19	0.22"

[सं. एस. 70012(3)/71-पीएफ 2]

नई दिल्ली, 26 मई, 1973

सा. का नि. 591.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 की चतुर्थ अनुसूची में, "छुट्टी" मद के सामने, "पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1933" शब्दों और अंकों के स्थान पर "केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[सं. ए. 12018(5)/73-पी एफ. I]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 26th May, 1973

G.S.R. 591.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) (Third Amendment) Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962—in the Fourth Schedule, against the item "Leave" for the words and figures "Revised Leave Rules, 1933" the words, brackets and figures "Central Clerical Service and Grade III of the Central Secre-

[No. A. 12018(5)/73-PF. I]
DALJIT SINGH, Under Secy.

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 592.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग में (श्रेणी 2 तथा श्रेणी 3 के पदों पर) भर्ती के नियम, 1967 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग में (श्रेणी 2 तथा श्रेणी 3 के पदों) पर भर्ती के (संशोधित) नियम, 1973 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग में (श्रेणी 2 तथा श्रेणी 3 के पदों पर) भर्ती के नियम, 1967 से संबंधित अनुसूची में सांख्यिकीय सहायक के पद से संबंधित कॉलम संख्या 4 में,—

(1) कालम 1 में दिए गए इन्द्राज के लिए निम्नलिखित इन्द्राज प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
"सांख्यिकीय सहायक ग्रेड 2",

(2) कालम 11 में 'प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण' शीर्षक के अन्तर्गत दिए गए इन्दराज के लिए निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी के ग्रेड तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 3 के ऐसे अधिकारी जिनकी अपने ग्रेड में 5 वर्ष सेवा हो गई हो तथा जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित कालम 7 में दी गई योग्यताएं रखते हों"।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि: सामान्यता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

[संख्या ए. 32011(3)/71-प्रशासन-1]

G.S.R. 592.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Class II and Class III posts) Recruitment Rules 1967, namely:

(i) These rules may be called the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Class II and Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation(Class II and Class III posts) Recruitment Rules 1967, against serial No. 4 relating to the post of 'Statistical Assistant':

(i) for the entry in column 1, the following entry shall be substituted namely:

"Statistical Assistant Grade II";

(ii) for the entry in column 11, under the heading 'Transfer on deputation', the following entries shall be substituted, namely:

"Officers holding similar or equivalent posts or officers of Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service with five years service in the grades and possessing qualifications prescribed for direct recruits under column 7".

(Period of deputation: Ordinarily not exceeding three years).

[No. A. 32011(3)/71-Adm. I]

सा. का. नि. 593.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-1) के पद पर भर्ती के नियम, 1971 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

(1) ये नियम पुनर्वास विभाग में हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-1) के पद पर भर्ती के (संशोधन) नियम, 1973 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पुनर्वास विभाग में हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-1) के पद पर भर्ती के नियम, 1971 से संबंधित अनुसूची के कालम 11 में शीर्षक "प्रतिनियुक्ति" के अन्तर्गत दिए गए इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 2 के ऐसे अधिकारी जिनकी अपने ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित कालम 7 में दी गई योग्यताएं रखते हो।

(2) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले ऐसे पात्र व्यक्तियों में से जो दूसरे मंत्रालयों या विभागों में अनुवाद का कार्य कर रहे हों।"

[संख्या ए. 32011(3)/71-प्रशासन-1]

G.S.R. 593.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Rehabilitation Hindi Translator (Grade I) Recruitment Rules, 1971, namely:

(1) These rules may be called the Department of Rehabilitation Hindi Translator (Grade I) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Rehabilitation Hindi Translator (Grade I) Recruitment Rules, 1971, for the entry under the heading "Deputation" in Column 11, the following entry shall be substituted, namely:

"(i) Officers of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service and Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service with five years service in the grades and possessing qualifications prescribed for direct recruits under Column 7.

(ii) From amongst suitable persons engaged in translation work in other Ministries or Departments possessing the educational qualifications required for direct recruits".

[No. A. 32011(3)/71-Adm I]

नई दिल्ली, 3 मई, 1973

सा. का. नि. 594.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) में अनुसंधान अधिकारी (समीक्षा समिति) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—ये नियम पुनर्वास विभाग में अनुसंधान विभाग में अनुसंधान अधिकारी (समीक्षा समिति) के पद पर भर्ती के नियम 1973 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—इन पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिया गया है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और योग्यताएं इत्यादि.**—उपर्युक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और इनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं ।

4. **अयोग्यताएं.**—कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु भूमि के प्रति सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. **रियायत देने की शक्ति.**—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो वह लिखित कारणों के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत कर सकती है ।

6. **अपवाद.**—इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए आदेशों के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण तथा रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित शिक्षा, संबंधी और अन्य योग्यतायें
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान अधिकारी (समीक्षा समिति)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-II राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	350-25-500-30-590-द० रो० -30-800- द० रो०-30-830-35-900-रु०	प्रवरण	35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट)	**अनिवार्य :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या अर्थ-भूगोल में मास्टर डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता । (ii) अर्थ सर्वेक्षण या अन्वेषण में लगभग चार वर्ष का अनुभव । (अन्य प्रकार से योग्य अभ्यार्थियों के मामले में आयोग अपनी इच्छा से छूट दे सकता है) **वांछनीय :** सांख्यिकीय कार्य को करने का अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिये विहित आयु और शिक्षा संबंधी योग्यतायें पदोन्नति वालो की दशा में भी लागू होगी	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति /क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है	वे परिस्थितियां जिनमे नियम बनाते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
नही ।	2 वर्ष .	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** ऐसे ग्रेड-I के अन्वेषक जिनकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति हो जाने पर तीन वर्ष की सेवा हो गई हो ।	श्रेणी-II विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

[सं ए. 12018(2)/72-प्रशासन-I]

जय किशन अहलूवालिया, संयुक्त निदेशक.

New Delhi, the 8th May, 1973

G.S.R. 594.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the post of Research Officer (Committee of Review) in the Department of Rehabilitation, in the Ministry of Labour and Rehabilitation, namely:—

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Department of Rehabilitation Research Officer (Committee of Review) Recruitment Rules 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of the posts, its classification and scale of pay.**—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters concerned therewith shall be as specified in Columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Research Officer (Committee of Review)	1	General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial	Rs.350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900	Selection	35 years (Relaxable for Government servants)	**Essential :** (i) Master's degree in Economics or Statistics or Economic Geography of a recognised University or equivalent. (ii) About four years experience in Economic Survey or Investigation. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable :** Experience of handling statistical work.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment	**Promotion** Economic Investigators Grade I with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis	Class II Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958

[No. A 12018(2)/72-Adm.I]
J. K. AHLUWALIA, Jt. Director

नई दिल्ली, 7 मई, 1973

सा. का. नि. 595.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के अंतर्गत दण्डकारण्य परियोजना के मैकेनिकल संगठन में श्रेणी 3 के पदों पर भर्ती को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना मैकेनिकल संगठन के (श्रेणी 3 के पद पर) भर्ती के नियम 1973 कहलायेंगे ।

(2) ये सहकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :— ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—इन पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिया गया है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और योग्यताएं इत्यादि :— उपर्युक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और इनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं ।

किन्तु सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशिष्ट वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है ।

5. अयोग्यताएं :—कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित होते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ।

इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. रियायत देने की शक्ति :—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबंध में रियायत कर सकती है ।

7. अपवाद:—इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण तथा रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

बी. सी. सहाय, अवर सचिव

अनुसूची

नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शिक्षा संबंधी और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शिक्षा संबंधी योग्यताएं पदोन्नति वालों की दशा में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुसंधान सहायक	12	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी अराजपत्रित अनिपिकवर्गीय	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	प्रवरण	18-30 वर्ष	**आवश्यक** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी० एस०सी० या उसके समकक्ष (2) किसी भू अनुसंधान प्रयोगशाला में अनुसंधान सहायक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव	नहीं

परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति । क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है ।	वे परिस्थितियां जिनमें नियम बनाते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर प्रतिनियुक्त द्वारा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** उन रसायन सहायकों में से (130-300 रु०) जिनकी अपने ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो **प्रतिनियुक्ति** समकक्ष पदों के केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।)	श्रेणी III पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
रसायन सहायक	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	130-5-160-8-200 द०रो०-256-द० रो० 8-280-10-300 रु०	अप्रवरण	18 से 25 वर्ष	**आवश्यक :** (1) भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान सहित विज्ञान में इंटरमीडिएट **वांछनीय** भू-परीक्षण की रसायन या भू अनुसधान प्रयोगशाला मे अनुभव।	नही
बांध निरीक्षक	8	,,	150-10-200 रु०	अप्रवरण	18 से 25 वर्ष	**आवश्यक** (1) भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान सहित विज्ञान में इंटरमीडिएट (2) भू-अनुसंधान प्रयोग-शाला में एक वर्ष का अनुभव	नही
सहायक बांध निरीक्षक या प्रयोग-शाला सहायक	12	,,	110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180 रु०	लागू नही होता	25 वर्ष या उससे कम	**आवश्यक** भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान सहित विज्ञान मे इंटरमीडिएट **वांछनीय** भू-अनुसंधान प्रयोगशाला में अनुभव	लागू नही होता
रंग साज (वरिष्ट)	2	,,	150-5-180 रु०	अप्रवरण	18-30 वर्ष	**आवश्यक** (1) किसी वाणिज्यिक फर्म या किसी सरकारी कर्म-शाला में ड्यूको स्प्रे पेंटिग मे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव	नही

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** ऐसे बांध निरीक्षकों (150-200 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो गई है।	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नही होता
2 वर्ष	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** ऐसे सहायक बांध निरीक्षको (110-180 रु०) या प्रयोग-शाला सहायको (110-180 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो गई हो।	,,	,,
2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** ऐसे रंगसाजी (कनिष्ठ) (110-131 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो गई हो	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
रंग साज (कनिष्ठ)	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	110-3-131 रु०	प्रवरण	18-25 वर्ष	**आवश्यक** किसी वाणिज्यिक फर्म या किसी सरकारी कर्मशाला में ड्यूको स्प्रे पेंटिंग में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव **वांछनीय** 1 अवर लेखन में अनुभव 2. शिक्षित होना चाहिए—मिडिल उत्तीर्ण को वरीयता दी जायगी ।	आयु नहीं योग्यता-जी हां
बढ़ई (वरिष्ठ)	2	,,	150-5-180 रु०	प्रवरण	18-30 वर्ष	**अनिवार्य** अपने व्यवसाय में विशेषतया नमूना तथा फर्नीचर बनाने के कम से कम 5 वर्ष का अनुभव **वांछनीय** 1. लकड़ी के कार्य करने वाली मशीनों तथा उनके रख-रखाव का अनुभव 2. शिक्षित—मिडिल उत्तीर्ण को वरीयता दी जाएगी	नहीं
सहायक बढ़ई	3	,,	125-3-131-4-155 रु०	,,	18-25 वर्ष	,,	आयु नही योग्यताएं जी हां

9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** ऐसे मेटों (75-95 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो कालम 7 में निर्धारित की गई योग्यताए रखते हो ।	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता
2 वर्ष	,,	**पदोन्नति** ऐसे सहायक बढ़ईयों (125-155 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो गई हो ।	,,	,,
2 वर्ष	,,	**पदोन्नति** : ऐसे मेटो (75-95 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो कालम 7 में दी गई योग्यताएं रखते हों ।	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
लोहार/कलईगर	9	,,	140 5-175 रु०	अप्रवरण	18-30 वर्ष	**आवश्यक :** 1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण या व्यवसाय में प्रमाण-पत्र 2. इस क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव **वांछनीय :** 1. मैट्रिक पास या उसके समकक्ष योग्यता 2. किसी औद्योगिक फर्म या कर्मशाला आदि में अनुभव	नहीं
वरिष्ठ मैकेनिक या मशीनमैन	7+14 =21	,,	175-6-205-7-240 रु०	प्रवरण	,,	**आवश्यक :** 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल या आटोमोबाइल या विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा 2. आटो या ट्रैक्टर या बिद्युत या ए० सी० वाइंडिंग/एन्सीलियरी आदि व्यवसायों या खराद, ड्रिलिंग तथा नर्टिंग मशीनरी, क्रेन्क शाफ्ट ग्राइन्डर, सरफेस ग्राइन्डर आदि में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव तथा परिकुशन गेजों तथा डायल गेजों आदि को प्रयोग करने का अच्छा ज्ञान	नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति :** ऐसे सहायक लोहारों (110-131 रु०) जिनकी अपने ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो गई हो । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	,,	,,
2 वर्ष	,,	**पदोन्नति :** ऐसे मैकेनिक्स (140-175 रु०) मे से जिनकी अपने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा हो गई हो । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या किसी एक राज्य सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
मैकेनिक	56	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	140-5-175 रु०	प्रवरण	18-30 वर्ष	**आवश्यक :** 1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण या विशेष रूप से उल्लिखित व्यवसाय में प्रमाण-पत्र 2. व्यवसाय के क्षेत्र में 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या मरम्मत, ओवर-हालिंग, स्क्रेपर्स, डम्पर, एक्सकेवेटर, डेग लाइन, ग्रेडरस, व्हील तथा क्रालर ट्रेक्टर जैसी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के रख-रखाव तथा उनको चलाने का अनुभव **वांछनीय :** 1. मैट्रिक पास या उसके समकक्ष योग्यता 2. भारी तथा हल्के वाहनो को चलाने का लाइसेंस	नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	66⅔% पदोन्नति द्वारा; इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 33⅓% सीधी भर्ती द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति :** ऐसे सहायक मैकेनिक (फिटर) या सहायक लोहार या टायर फिटर या वल्केनाइजर या बैच फिटर तथा फिटर व टर्नर या वैल्डर या ड्राइवर (110-131 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा हो गई हो **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी)	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नही होता

मैकेनिक (विद्युत)	5	,,	,,	,,	,,	**आवश्यक** : इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल लाइसेंस या इलेक्ट्रिकल व्यवसाय पाठ्य क्रम प्रमाण-पत्र या वायरमैन के रूप में सक्षमता प्रमाण-पत्र 2. साधारण वायरिंग डायग्रामों को पढ़ने में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। 3. डी०सी० आर्मेचर, ए०सी० क्युमुलेटिव टाइप आर्मेचर, स्टार्टर तथा ए०सी०मोटरों के स्क्विरल टाइप रोलरों की तारों का आवरण हटाने तथा उन्हें मोड़ने के योग्य होना चाहिये। आर्मेचर तथा स्टार्टरों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की विभिन्न विधियों को जानता हो। **वांछनीय** : इलेक्ट्रिक मास्टर स्विच बोर्ड तथा एमलाइजर को चलाना जानता हो। 2. विभिन्न प्रकार की विद्युत यंत्र या उपस्कर या मशीनरी की मरम्मत कर सकने तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों तथा स्टोरेज आदि की वायरिंग कर सकने के योग्य हो।	,,
,,	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** : ऐसे इलेक्ट्रिश्यनों (125-155रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो गई हो। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** : केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक मेकैनिक या फिटर या सहायक लोहार	39	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	110-3-131 रु०	प्रवरण	19-25 वर्ष	**आवश्यक** किसी मरम्मत करने वाली या उत्पादन करने वाली फर्म में मशीन की दूकानों या आटाशाप या लोहारगिरी या कलईगिरी या सफाई अनुभाग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** 1. मिडिल पास होना चाहिए 2 संबंधित व्यवसायों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र या प्रशिक्षण	आयु नहीं योग्यताएं-जी हां
वैल्डर	7	,,	125-3-131-4-155रु०	अप्रवरण	18-30 वर्ष	**आवश्यक** 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैल्डिंग (गैस तह आर्क) मे प्रमाण-पत्र 2 कास्ट आइरन, कास्ट-स्टील तथा एल्युमिनियम को गैस तथा आर्क से वैल्डिंग करना जानता हो तथा कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। **वांछनीय** · मिडिल पास होना चाहिए।	नहीं
सोफासाज (अपहोल्सटर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	125-3-131-4-155 रु०	प्रवरण	18-30 वर्ष	**आवश्यक** : व्यवसाय में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव 2. सिलाई मशीनों को ही चलाना जानता हो तथा रेक्सिन कपड़े को कारों, स्टेशन वेगनों आदि की सीटों तथा जीपों के हुड एसेम्बली के विभिन्न आकारों के अनुसार काटने तथा जोड़ने की योग्यता रखता हो। **वांछनीय** : शिक्षित मिडिल उत्तीर्ण को वरीयता दी जाएगी।	आयु नहीं योग्यताएं--जी हां

9	10	11	12	13
2 वर्ष	50% पदोन्नति द्वारा 50% भर्ती द्वारा।	सीधी **पदोन्नति** ऐसे ग्रेडों (75-95 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो कालम 7 में दी गई निर्धारित योग्यताए रखते हो।	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति।	लागू नहीं होता।
2 वर्ष	50% पदोन्नति द्वारा 50% भर्ती द्वारा	सीधी **पदोन्नति** ऐसे फिटर/सहायक मेकेनिकों (110-131 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा हो गई हो।	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति।	लागू नहीं होता।
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** ऐसे मेटी (75-95 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो कालम 7 में दी गई योग्यताये रखते हो।	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8
टायर फिटर या वल्केनाइजर	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	110-3-131 रु०	प्रवरण	18-30 वर्ष	**आवश्यक** : 1 किसी रिट्रीडिंग या टायर की मरम्मत करने वाली दुकान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव 2 ट्यूब तथा टायरो को चढ़ाने, निरीक्षण करने तथा इनफ्लेमेशन प्रेशर वल्केनाइजिंग करने तथा टायरों की मरम्मत करने के योग्य होना चाहिए। **वांछनीय** : 1 मिडिल पास होना चाहिये। 2. आधुनिक वल्केनाइजिंग प्लाट को चलाने तथा उनके रखरखाव का ज्ञान होना चाहिये।	आयु नही योग्यताएं-जी हां
इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिशियन (आटो)	21	,,	125-3-131-4-155 रु०	अप्रवरण	,,	**आवश्यक** : 1, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत-व्यवसाय पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र या वायरमैन के रूप मे सक्षमता प्रमाण-पत्र या इलेक्ट्रीशियन का लाइसेंस 2 आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत कार्य तथा साधारण डायग्रामो को पढ़ने तथा या मोटर वायरिंग ट्रैक्टर वायरिंग और ट्रक वायरिंग तथा अन्य विभिन्न प्रकार के वाहनों की वायरिंग स्टोरज बैटरियों, आर्मेचर की मरम्मत जनित्रों, मोटरों तथा स्टार्टरों आदि की पुनः वाइंडिंग तथा उनको चलाने में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** : 1. मैट्रिक पास या इसके समकक्ष योग्यता 2. विद्युत की पैमाइश तथा औजारों या यंत्रों का परीक्षण करने का ज्ञान 3. बढ़ईगिरी फिटिंग शीट-मेटल वर्क्स आदि का ज्ञान	नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** ऐसे मेटो (75-95 रु०) मे से जिनकी अपने ग्रेड मे पांच वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो कालम 7 मे दी गई योग्यतायें रखते हो।	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता
2 वर्ष	,,	**पदोन्नति** ऐसे सहायक इलेक्ट्रिशियनो या स्विच बोर्ड अटेन्डेंट या लाइनमैन या वायरमैन (110-131 रु०) मे से जिनकी अपने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा हो गई हो।	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक इलेक्ट्रिशियन या स्विच बोर्ड अटेन्डेंट या लाइनमैन या वायरमैन	26	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	110-3-131 रु०	प्रवरण	18-25 वर्ष	**आवश्यक** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत व्यवसाय पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र या इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस। 2. आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत कार्य या मोटर वायरिंग का ज्ञान, जनित्रों मोटरों तथा स्टार्टरों आदि को चलान तथा विद्युत संस्थापनों के रख-रखाव में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** · मिडिल उत्तीर्ण होना चाहिये।	आयु—नहीं योग्यता—जी हां

9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** ऐसे मेटों (75-95 रु०) में से जिनकी अपने ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो कालम 7 में दी गई योग्यतायें तथा अनुभव रखते हों।	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता।

[संख्या 1 (59)/68-प्रशा(भाग 2)]

New Delhi, the 7th May, 1973

G.S.R. 595.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Class III posts in the Mechanical Organisation of the Dandakaranya Project under the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) namely :—

1. **Short title and commencement :** (1) These rules may be called the Dandakaranya Project, Mechanical Organisation (Class III posts) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay :** The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc. :** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age-limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other special categories in accordance with the orders issued from time to time, by the Central Government.

5. **Disqualifications :** No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax :** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving :** Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruitment	Educational qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Research Assistant	12	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425/-	Selection	18-30 years	**Essential :** (i) B. Sc. from a recognised University or equivalent. (ii) Atleast 3 years experience as a Research Assistant in a Soil Research Laboratory.
Technical Assistant	1	General Central Service ClassIII Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300/-	Non selection	18-25 years	**Essential :** 1. Intermediate in Science with Physics and Chemistry or Agricultural Chemistry. **Desirable :** Experience in Chemical or soil Research Laboratory on soil test.
Imbanknent Inspector	8	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 150-10-200/-	Non Selection	18-25 years	**Essential :** 1. Intermediate in Science with Physics and Chemistry. 2. One year's experience in a Soil Research Laboratory.
Assistant Imbanknent Inspector of Laboratory Assistant	12	General Central Class III Non-Gatetted, Non-Ministerial	Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180	Not applicable	25 years and below	**Essential :** Intermediate in Scicence with Physics and Chemistry. **Desirable :** Experience in a Soil Research Laboratory.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitments
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment	**Promotion :** From amongst Chemical Assistants (Rs. 130-300), with 8 years service in the grade. **By Deputation :** Officials of the Central Government or a State government holding analogous posts. (Deputation period not exceeding ordinarily three years).	Class III DPC	Not applicable
No	2 years	100% by promotion failing which by direct recruitment	**Promotion :** From amongst Embankment Inspector (Rs. 150-200) with 3 years service in the grade.	Class III D.P.C.	Not applicable
No	2 years	100% by promotion failing which by direct recruitment	**Promotion :** From amongst Assistant Embankment Inspectors (Rs. 110-180) or Laboratory Assistant (Rs. 110-180) with 3 years service in the grade	Class III D.P.C.	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Painter (Junior)	2	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 150-5-180/-	Non-Selection	18-30 years	**Essential:** 1. A minimum of 5 years experience in Duco Spray painting in a commercial concern or in a Government Workshop. **Desirable:** 1. Experience in lettering 2. Literate, preferably Middle Standard passed.
Painter (Junior)	2	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 110-3-131	Selection	18-25 years	**Essential:** A minimum of 3 years experience in Duco Spray painting in a commercial concern or in a Government Workshop. **Desirable:** 1. Experience in lettering 2. Literate preferably Middle standard passed.
Carpenter (Senior)	2	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 150-5-180	Selection	18-30 years	**Essential:** A minimum of 5 years experience in the trade with special reference to pattern and furniture making. **Desirable:** 1. Experience in Wood working machines and their maintenance. 2. Literate preference Middle Standard passed.
Assistant Carpenter .	3	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 125-3-131-4-155	Selection	18-25 years	**Essential:** A minimum of 3 years experience in the trade with special reference to pattern and furniture making. **Desirable:** 1. Experience in wood working, machines and other maintenance. 2. Literate, preferably middle standard passed.

8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Painters (Junior) (Rs. 110-131) having 3 years service in the grade.	Class III D.P.C.	Not applicable
Age —No. Qualification—Yes.	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Mates (Rs. 75-95) having 5 years service in the grade, and possessing the qualifications prescribed in Column 7.	Class III D.P.C.	Not applicable
No.	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Assistant Carpenter (Rs. 125-155) having three years service in the grade.	Class III D.P.C.	Not applicable
Age—No. Qualification—Yes	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From Mates (Rs. 75-95) having eight years service in the grade and possessing the qualifications prescribed in Column 7.	Class III D.P.C.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Blacksmith or Tinsmith	9	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 140-5-175	Non-Selection	18-30 years	**Essential:** 1. Industrial Training Institute Training or Certificate in the trade. 2. A minimum of 2 years practical experience in the line. **Desirable:** 1. Matriculation or equivalent. 2. Experience in an Industrial concern or Workshop etc.
Senior Mechanic or Machine-Man	7+14 =21	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 175-6-206-7-240	Selection	18-30 years	**Essential:** 1. Diploma in Mechanical or Automobile or Electrical Engineering from any recognised Institution. 2. A minimum of three years experience in the trade Auto or Tractor or Electrical or AC Winding or Ancillary etc. or experience on lathes, drilling and nutting machineries, crank shaft grinder, surface grinder etc. and good knowledge in using percussion gauges and dial gauges, etc.

8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Assistant Blacksmiths (Rs. 110-131) with three years service in the grade. **Deputation:** Officials of the Central government, State government holding analogous posts. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Class III D.P.C.	Not applicable
No.	2 years	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Mechanic (Rs. 140-175) with three years service in the grade. **Deputation:** Officials of the Central government or State Government holding analogous posts. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Class III D.P.C.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Mechanic	56	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 140-5-175	Selection	18-30 years	**Essential:** 1. Industrial Training Institute training or certificate in the trade as may be specified. 2. Two years practical experience in the line of trade of experience in repair, overhauling, maintenance and operation of heavy earth-moving machinery such as Scrapers, Dumper, Excavator, Dragline, Graders, Wheel and Crawler tractors, Diesel and petrol engines. **Desirable:** 1. Matriculation or equivalent. 2. Heavy and light vehicles driving licence.
Mechanic (Electrical)	5	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 140-5-175	Selection	18-30 years	**Essential:** Diploma in Electrical Engineering or Electrical Licence or Electrical Trade Course Certificate or Certificate of competency as Wireman. A minimum of two years practical experience in reading simple wiring diagrams. Should be able to strip and wind DC Armatures, AC cummulative type armatures, starters and Wound type rollers of AC motors. Familarity with different techniques of materials used in the armatures and starters. **Desirable:** 1. Familiarity with the operation of electric master switch board and Analyser. 2. Ability to undertake repair of various types of electrical apparatus/equipment or machinery and wiring of various types of vehicles and storage batteries etc.

8	9	10	11	12	13
No.	2 years	66-2/3% by promotion, failing which by direct recruitment. 33-1/3% by direct recruitment failing which by deputation.	**Promotion :** From amongst Assistant Mechanic (Fitter) or Assistant Blacksmith or Tyre Fitter or Vulcanisers or Bench Fitter and Fitter-cum-Turner or Welder or Driver (Rs. 110-131) with five years service in the grade. **Deputation:** Officials of the Central government or a State government holding analogous posts. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years.	Class III D.P.C.	Not applicable
No.	2 years	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Electricians (Rs. 125-155) with 5 years service in the grade. **Transfer on deputation:** Officials of the Central government or a State government holding analogous posts. (Perlod of deputation ordinarily not exceeding three years).	Class III D.P.C.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Assistant Mechanic/ Fitter/Assistant Blacksmith	39	General Central Service Class III Non-Gazetted/Non-Ministerial.	Rs. 110-3-131	Selection	18-25 years	**Essential:** A minimum of 2 years' experience in machine shops / Autoshops / Blacksmithy / Tinsmithy / Forging Section in any repair / manufacturing concern **Desirable:** 1. Middle Standard passed. 2. Certificate / Training in Industrial Training Institute in the trade concerned.
Welder	7	General Central Service Class III Non-Gazetted/Non-Ministerial.	Rs. 125-3-131-4-155	Non-Selection	18-30 years	**Essential:** 1. Certificate in Welding (Gas and Arc) from any recognised Institute. 2. Should be conversant with cast iron, cast steel and alluminium welding both by gas and arc with a minimum of 2 years experience. **Desirable:** Middle standard Passed.

NB: '/' may be read as 'or'.

Upholster	4	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 125-3-131-4-155	Selection	18-30 years	**Essential:** A minimum of 5 years experience in the trade. Knowledge of operation of sewing machine and capability of cutting and stitching rexine cloth according to different designs and seats in cars, station wagons etc. and hood assembly of jeeps. **Desirable:** Literate — preferably Middle Standard passed.

8	9	10	11	12	13
Age—No. Qualification—Yes.	Two years	50% by promotion, 50% by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Mate (Rs. 75-95) with five years service in the grade and possessing the qualifications prescribed in Column 7.	Class III DPC	Not applicable
No.	Two years	50% by promotion, 50% by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Fitters/Assistant Mechanics (Rs. 110-131) with three years service in the grade.	Class III DPC	Not applicable
Age—No. Qualification –Yes.	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst mates (Rs. 75-95) with 8 years service in the grade and possessing the qualifications prescribed in Column 7	Class III DPC	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Tyre Fitter/Vulcanizer	2	General Central Service Class III Non-Gazetted/Non-Ministerial.	Rs. 110-3-131	Selection	18-30 years	**Essential:** 1. A minimum of three years experience in any retreading or tyre repair shop. 2 Should be capable of fixing, checking, inflamation pressure vulcanising tube and tyre repairs. **Desirable:** 1. Middle Standard passed. 2. Familiarity with the operation and maintenance of modern vulcanising plants.
Electrician/Electrician (Auto)	21	General Central Service Class III Non-Gazetted/Non-Ministerial.	Rs. 125-3-131-4-155	Non-Selection	18-30 years	**Essential:** 1. Electrical Trade Course Certificate / Certificate of competency as Wireman/ Electricians' Licence from Industrial Training Institute or other recognised Institute. 2. Three years experience in internal and external electrical works and reading simple diagrams and/or motor wiring tractor and truck wiring and wiring of various other types of vehicles, repair of storage batteries, armatures, rewinding and operation of generators, motors and starters etc. **Desirable:** 1. Passed Matriculation equivalent. 2. Use of electrical measuring and testing equipment/ instruments. 3. Knowledge of carpentry, fitting and sheet-metal works etc.

NB: '/' may be read as 'or'

8	9	10	11	12	13
Age—No. Qualification—Yes	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Mates (Rs. 75-95) having five years service in the grade and possessing the qualifications prescribed in Column 7.	Class III DPC	Not applicable
No.	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst Assistant Electricians/Switch Board Attendants/Linemen/ Wiremen (Rs. 110-131) with three years service in the grade.	Class III DPC	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Assistant Electrician/ Switch Board Attendant/Lineman/Wireman	26	General Central Services Class III Non-Gazetted/Non-Ministerial.	18-25 years	Rs. 110-3-131	Selection	**Essential:** 1. Electrical Trade Course Certificate / Certificate or competency as Wireman/ Lineman / Electrician's Licence from Industrial Training Institute or other recognised Institution. 2. A minimum of two years experience in internal and external electrical works/ or knowledge of motor wiring, operation of generators, motors, starters etc. and maintenance of electrical installations. **Desirable:** Middle Standard passed.

NB: '/' may be read as 'or'.

8	9	10	11	12	13
Age—No. Qualifications—Yes.	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From mate (Rs. 75-95) with five years service in the grade and possessing the qualifications and experience prescribed in Column 7.	Class III D.P.C.	Not applicable

[No. 1(59)/68 DNK]

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

सा. का. नि. 596.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के अन्तर्गत दण्डकारण्य परियोजना में भूमि संगठन में तृतीय श्रेणी के कुछ पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**—(1) ये नियम, दण्डकारण्य परियोजना, भूमि संगठन में (तृतीय श्रेणी के पदों पर) भर्ती नियम, 1973 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवत्त होंगे।

2. **लागू होना:**—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:**—इन पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिया गया है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और योग्यताएं इत्यादि:**—उपर्युक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, योग्यताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं।

किन्तु सीधी भर्ती के लिए उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य विशिष्ट वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है।

5. **अयोग्यताएं:**—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो।

इन पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति:**—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में शिथिल कर सकती है।

7. **अपवाद:**—इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य विशेष वर्गों के उम्मीदवारों को इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण तथा रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

नाम	पदो की सख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालो के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित शिक्षा सबंधी और अन्य योग्यताये
1	2	3	4	5	6	7
प्रारूपकार (भूमि सर्वेक्षण)	4	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 110-3-131	अप्रवरण	18 तथा 25 वर्ष के मध्य	अनिवार्य. (1) मैट्रिक पास (2) सर्वेक्षण कार्य, प्लेन टेबुल, चैन सर्वेक्षण कार्य तथा भूमि के अधिकार सबधी रिकार्ड तैयार करने मे तीन वर्ष का अनुभव । (3) नक्शों आदि की ट्रेसिंग, ड्राइंग, इंकिंग तथा ग्लासिंग मे तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय : सर्वेक्षण कार्य में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा
पटवारी	56	,,	रु० 85-2-95-3-110	प्रवरण	,,	अनिवार्य · (1) आठवी कक्षा पास (2) प्लेन टेबुल तथा चैन सर्वेक्षण कार्य तथा भूमि के अधिकार संबधी रिकार्ड तैयार करने में प्रशिक्षित । (3) किसी राज्य सरकार के किसी बन्दोबस्त सगठन मे इस क्षेत्र मे तीन वर्ष का अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती वालो के लिये विहित आयु और शिक्षा संबधी योग्यतायें पदोन्नति वालो की दशा में भी लागू होगी	परीवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति । क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया	वे परिस्थितिया जिनमे नियम बनाते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
नही	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति द्वारा · ऐसे पटवारियो (85—110 रु०) मे से जिनकी अपने ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो गई हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा . केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विभागो के समान पदो पर कार्य कर रहे अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नही होता
आयु—नही योग्यताये—जी हां	2 वर्ष	,,	पदोन्नति द्वारा : ऐसे चैनमैन (70—85 रु०) के ग्रेड मे से वरिष्ठता व-गुणावगुण के आधार पर जिनकी अपने ग्रेड मे 3 वर्ष की सेवा हो गई है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा . राज्य सरकारो के बन्दोबस्त सगठनो के अन्तर्गत समान पदो पर कार्य कर रहे अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	,,	,,

[स० 1 (91)/73-दण्ड]

New Delhi, the 10th May, 1973

G.S.R. 596.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class III posts in the Land Organisation in the Dandakaranya Project under the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Dandkaranya Project, Land Organisation, (Class III posts), Recruitment Rules, 1973. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column I of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, Classification and Scale of Pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other special categories in accordance with the orders issued from time to time, by the Central Government.

5. **Disqualifications.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection	Age for direct recruits	Educational qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Draftsman (Land Survey)	4	General Central Class III Service Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 110-3-131	Non-selection	Between 18 and 25 years	**Essential:** (1) Matriculation. (2) Three years' experence in Survey Operations, Plane Table and Chain Survey Works and preparations of records. of rights. (3) Three years' experience in tracing, drawing, inking and glassing of maps etc. **Desiralble:** Certificate or Diploma in Survey.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply the case of promotees.	Period of probation.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
8	9	10	11	12	13
No.	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment.	**By Promotion** : From amongst Patwari (Rs. 85-110) with three years' service in the grade. **By Deputation** : Officials holding posts under the Central or State Government Departments (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable

[No. 1(91)/71-DNK]

1	2	3	4	5	6	7
Patwari	56	General Central Class III Service Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 85-2-95-3-110	Selection.	Between 18 and 25 years.	**Essential:** (1)VIII Standard Pass. (2) Trained in plane table and chain survey works and preparation of records of rights. (3) Three years' experience in the field in any settlement organisation of a State Governments.

8	9	10	11	12	13
Age—No **Qualifications**—Yes.	Two years.	By promotion failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment.	**By promotion** : From the grade of Chainman (Rs. 70—85) with three years' service in the grade on seniority-*cum*-merit basis. **By transfer or deputation** : Officials holding analogous post under settlement organisations of the State Governments. Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Class III—Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

[No. 1(91)/71-DNK]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1973

सा. का. नि. 597.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के अन्तर्गत दण्डकारण्य परियोजना में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना में (तृतीय श्रेणी के पदों पर) भर्ती के नियम, 1973, कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—इन पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिया गया है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हताएं इत्यादि.**—उपर्युक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं ।

किन्तु, सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशिष्ट वर्गों के लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है ।

5. **अर्हताएं.**—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **रियायत देने की शक्ति.**—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत कर सकती है ।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेशों के आधार पर दिये जाने वाले आरक्षण तथा रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी ।

(अनुलग्नक के अनुसार)

बी. सी. सहाय, अवर सचिव ।

नाम	पदो की सख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालो के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती वालो के लिये अपेक्षित शिक्षा सबधी और अन्य योग्यताये
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अनुवादक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराज-पत्रित अलिपिक-वर्गीय	130 5 160-8-200-द० रो०-8 256-द० रो० 8 280-10-300 रु०	लागू नही होता ।	21-30 वर्ष	आवश्यक · 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से हिन्दी या अग्रेजी मे डिग्री जिसमे हिन्दी का विषय रहा हो या उस के समकक्ष योग्यता, या सस्कृत मे डिग्री जिसमे हिन्दी तथा अग्रेजी के विषय रहे हो या उसके समकक्ष योग्यता । वांछनीय — 1 हिन्दी मे शब्दावली कार्य का अनुभव या अग्रेजी स हिन्दी तथा हिन्दी से अग्रेजी मे अनुवाद कार्य का अनुभव । 2. पत्रकारिता अनुभव 3 अध्यापन कार्य मे अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती वालो के लिये विहित आयु और शिक्षा सबधी योग्यताये पदोन्नति वालो की दशा मे भी लागू होगी	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति/क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है	वे परिस्थितिया जिनसे मे नियम बनाते समय सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता ।	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति · ऐसे निम्न श्रेणी लिपिको या खुराक लिपिक या प्रधान समयपाल (150—240 रु०) जिन की अपने ग्रेड मे 3 वर्ष की सेवा हो गई हो तथा मेस समयपाल (110 131 रु०) मे से जिनकी अपने ग्रेड मे पाच वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो कालम 7 मे दी गई योग्यताये रखते हो ।	लागू नही होता ।	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
स्टोर कीपर (प्रवरण ग्रेड)	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराज-पत्रित अनिषिक-यर्गीय ।	210-10-290-15-320-द०रो० -15-380 रु०	प्रवरण	लागू नही होना ।	लागू नही होता ।
लिपि सहायक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराज-पत्रित लिपिकवर्गीय	210-10-290-15-320-द० रो० 15-380 रु०	लागू नहीं होना ।	18-30-वर्ष	**आवश्यक** 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से डिग्री 2 किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से कानून मे डिग्री **वांछनीय** 1 अदालत म या सरकारी कर्मचारियो की सेवाओ म सबधित मामलो को निपटाने, श्रम न्यायालय के मामलो, मध्यस्थता के मामलो, सपदा के के मामलो आदि मे अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
लागू नही होता ।	2 वर्ष	पदोन्नत द्वारा इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**पदोन्नति द्वारा :** ऐसे स्टोर कीपर/स्टोर क्लर्क-शाप लिपिक (130-300 रु०) मे से जिनकी अपने ग्रेड मे 7 वर्ष की सेवा हो गई हो । **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत समान पदो पर कार्य कर रहे पात्र अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी)	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नही होता ।
लागू नही होता ।	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति द्वारा :** केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत समान पदो पर कार्य कर रहे पात्र व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी)	लागू नही होता	लागू नही होता ।

1	2	3	4	5	6	7
उच्च श्रेणी लिपिक या उच्च श्रेणी लिपिक-व-लेखापाल	256	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	130-5-160-8-200-द० रो० 8-256-द० रो०-8-280-10-300 रु०	अप्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	केवल पदोन्नति द्वारा (1) 90% वरिष्ठता-गुणावगुण के आधार पर (2) 10% योग्यता के होने पर विभागीय परीक्षा को पास करने के आधार पर	**पदोन्नति द्वारा** ऐसी निम्न श्रेणी लिपिको (110-180 रु०) खुराक लिपिको (110-180 रु०) मे से जिनकी अपने ग्रेड मे पांच वर्ष की सेवा हो गई हो, 90% वरिष्ठता-व-गुणावगुण के आधार पर । 10% विभागीय परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो कि ऐसे निम्न श्रेणी लिपिको या खुराक लिपिको के लिये सीमित होगा । जिनकी अपने ग्रेड मे 5 वर्ष की सेवा हो गई हो और जो योग्यता रखते हो । **टिप्पणी** —प्रवरण ग्रेड लिपिक या केयर टेकर के पद ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक या उच्च श्रेणी लिपिक-व-लेखापाल, जिनकी अपने ग्रेड मे कम से कम 10 वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जिन्हे अयोग्य होने पर निकाला जा सकेगा, मे से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेगे । (उच्च श्रेणी लिपिक या उच्च श्रेणी लिपिक-व-लेखापाल के ग्रेड में कुल पदो का 15%)	श्रेणी-III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता ।

[सं. 1(2)/72-दण्ड]

बी. सी. सहाय, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd May, 1973

G.S.R. 597.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class-III psots in the Dandakaranya Project under the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) namely:—

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Dandakaranya Project (Class-III posts) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment to the posts, age-limit,

qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age-limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other special categories in accordance with the orders issued from time to time, by the Central Government.

5 **Disqualifications :**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection	Age for direct recruits	Educational qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Hindi Translator	1	General Central Service Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-280-10-300	Not applicable	21—30 years	**Essential :** 1. Degree in Hindi or in English with Hindi as a subject from a recognised University or equivalent, or degree in Sanskrit with Hindi and English as subjects or equivalent. **Desirable :** 1. Experience of terminological work in Hindi or translation work from English into Hindi and *vice-versa.* 2. Journalistic experience. 3. Teaching experience.

Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitments
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By deputation failing which by direct recruitment	**Deputation :** From amongst LDCs or Diet Clerk or Head Time-Keeper (150-240), with a 3 years service in the grade and Time Keeper (Rs. 110-131) with five years service in the grade and possessing the qualifications prescribed in Column 7.	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Storekeeper (Selection Grade)	2	General Central Service Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 210-10-290-15-320-LB-15-380	Selection	Not applicable	Not applicable
Legal Assistant	I	General Central Service Class III Non-Gazetted Ministerial	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-380	Not applicable	18—30 years	**Essential :** 1. Degree of a recognised University 2. Degree in Law from a recognised University. **Desirable :** I. Experience at the bar or dealing with cases pertaining to service matters of Government servants, labour court cases, arbitration cases estate matters etc.
Upper Division Clerk or Upper Division Clerk-*cum*-Accountant	256	General Central Service Class-III Non-Gazetted Ministerial	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300	Non selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion failing which by deputation	**By Promotion :** From amongst Store Keeper, Store Workshop clerk (Rs. 130-300) with 7 years service in the grade. **By deputatiod :** Suitable persons holding equivalent or analogous posts under the Central Government or a State Government (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable
Not applicable	2 years	By deputation failing which by Direct Recruitment	**By Deputation :** Suitable persons holding equivalent or analogous posts under the Central Government or a State Government Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By promotion only. 1. 90% on Seniority-*cum*-merit basis 2. 10% by qualifying in Departmental examination subject to fitness	**By Promotion :** 90% on Seniority-*cum*-merit basis amongst Lower Division Clerk (110-180/-) Diet Clerk (Rs. 110-180) with 5 years service in that grade 10% on the result of Departmental examination limited to Lower Divisional Clerk or Diet Clerk with 5 years service in the grade subject to fitness. Note:—The post of Selection Grade Clerk or Care Taker would be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst Upper Division Clerk or Upper Division Clerk-*cum*-Accountant with at least 10 years in the grade (15% of the total number of posts in the grade of Upper Division Clerk or Upper Division Clerk-*cum*-Accountants.)	Class-III Departmental Promotion	Not applicable

[No. 1(2)/72-DNK]
B. C. SAHAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 1973

सा. का. नि. 598.—यतः संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 (1970 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1650 तारीख 21 दिसम्बर, 1972 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, भाग, 2 खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 30 दिसम्बर, 1972 के पृष्ठ 3755 पर उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे,

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 30 दिसम्बर, 1972 को उपलब्ध करा दिया था,

और यतः उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1973 होगा ।

(2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में, नियम 3 में,—

(1) खण्ड (ङ) में—

(क) "चार व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "पांच व्यक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) "एक अन्य खानों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला" शब्दों के स्थान पर " दो अन्य खानों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(2) खण्ड (च) में—

(क) "छः व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "सात व्यक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) "एक अन्य खानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला" शब्दों के स्थान पर " दो अन्य खानों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. संख्या 11/12/70-एल. डब्ल्यू. आई.-1 पार्ट.]

पी. सी. सान्याल, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 1973

G.S.R. 598.—Whereas certain draft rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 were published as required by sub-section (i) of section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) at page 3755 of the Gazette of India Part II Section 3 Sub-section (i) dated the 30th December, 1972, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment No. G.S.R. 1650, dated the 21st December, 1972 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of the publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the Public on the 30th December, 1972;

And whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, in rule 3,—

(i) in clause (e),—

(a) for the words "four persons", the words "five persons" shall be substituted;

(b) for the words "one representing the employers in other mines", the words "two representing the employers in other mines" shall be substituted;

(ii) in clause (f),—

(a) for the words "six persons", the words "seven persons" shall be substituted;

(b) for the words "one representing the employees in other mines, the words "two representing the employees in other mines" shall be substituted.

[File No. 11/12/70-LWI-I/cont.]

P. C. SANYAL, Under Secy.

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

सा. का. नि. 599.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति प्रादेशिक निरीक्षण निदेशालय (तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय पद) नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम प्रादेशिक निरीक्षण निदेशालय (तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय पद) (संशोधन) नियम, 1973 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे ।

2. प्रादेशिक निरीक्षण निदेशालय (तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय, पद) नियम 1962 की अनुसूची में क्रम संख्या 3 तथा 4 से संबंद्ध प्रविष्टियों में "(1) क्रम संख्या 3 के कालम 6 की प्रविष्टि के लिए 18 से 25 वर्ष" की प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, (2) क्रम संख्या 4 के कालम 6 की प्रविष्टि

हेतु "सीधी भर्ती वालों के लिए 18 से 25 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए 45 वर्ष)" की प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी ।

[सं. ए-12011/2/72-स्थापना-2]

(Department of Supply)

New Delhi, the 10th May, 1973

G.S.R. 599.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to further amend the Regional Directorates of Inspection (Class III Ministerial and Non-Ministerial Posts) Rules, 1962, namely —

1. (1) These rules may be called the Regional Directorate of Inspection (Class III Ministerial and Non-Ministerial Posts) (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Regional Directorates of Inspection (Class III Ministerial and Non-Ministerial Posts) Rules, 1962, in the entries relating to Serial Nos. 3 and 4 "(i) for the entry in column 6 against Serial No. 3, the entry "18 to 25 years" shall be substituted, (ii) for the entry in column 6 against Serial No. 4, the entry "for direct recruits—18 to 25 years, and for reserved vacancies for Class IV employees Maximum age—40 years (45 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes)".

[No. A. 12011/2/72-ESII]

सा. का. नि. 600.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (प्रादेशिक कार्यालय-3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1963 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये नियम पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (प्रादेशिक कार्यालय-श्रेणी-3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1973 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे ।

2. पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (प्रादेशिक कार्यालय-श्रेणी-3 पद) भर्ती नियम 1963 की अनुसूची में क्रम संख्या 3 तथा 4 से सम्बद्ध प्रविष्टियों में "(1) क्रम संख्या 3 में कालम 6 की" प्रविष्टियों के लिए, प्रविष्टि "18—25 वर्ष" प्रतिस्थापित की जाएगी (11) क्रम संख्या 4 के कालम 6 की प्रविष्टि हेतु सीधी भर्ती वालों के लिए 18—25 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए अधिकतम-आयु 40 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 वर्ष "की प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी) ।"

[सं. ए-12011/2/72-स्थापना-2]

शिव शंकर क्षेत्री, अवर सचिव ।

(Department of Supply)

New Delhi, the 11th May, 1973

G.S.R. 600.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate General of Supplies and Disposals (Regional Offices—Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Supplies and Disposals (Regional Offices—Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate General of Supplies and Disposals (Regional Offices—Class III posts) Recruitment Rules 1963, in the entries relating to Serial Nos. 3 and 4 "(i) for the entry in column 6 against Serial No. 3, the entry "18 to 25 years" shall be substituted, (ii) for the entry in column 6 against Serial No. 4, the entry for direct recruitts—18 to 25 years, and for reserved vacancies from Class IV employees Maximum age—40 years (45 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes)".

[No. A. 12011/2/72-ESII]

S. S. KSHETRY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973